प्रेषक,

नवनीत कुमार भारती, (एच०जे०एस),
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश,
(पाक्सो एक्ट), ललितपुर ।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
ललितपुर।

**विषय– वार्षिक प्रविष्टी को दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं वर्ष 2006 वैच का उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का अधिकारी हूँ, न्यायिक सेवा के प्रारम्भ से लेकर अब तक लगातार कई जिलों के विभिन्न न्यायालयों में पदस्थ रहा तथा निरन्तर मेहनत व सत्यनिष्ठा से अपना न्यायिक कार्य अपने उत्तम विवेक से निष्पादित करता चला आ रहा हूँ और भविष्य में भी लगातार लगन से अपना न्यायिक कार्य किये जाते रहने के लिये सदैव तत्पर हूँ।

मेरे द्वारा दिनांक 13.04.2021 को जनपद बदायुँ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया तत्समय श्री जफीर अहमद जनपद न्यायाधीश बदायुँ थे। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुक्रम में मैं नियमानुसार उच्चतर न्यायिक सेवा में दिनांक 23.01.2023 को पदोन्नत होकर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित गति न्यायालय) महिलाओं के विरूद्ध अपराध का पदभार ग्रहण किया गया। तदोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में पदभार रेग्यूलर साईड न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्वापक

औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम )का ग्रहण किया गया। जिस न्यायालय से वर्ष 2024 के वार्षिक स्थानान्तरण में मेरा स्थानान्तरण जनपद ललितपुर में हो गया है। जहां पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र /विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) का पदभार ग्रहण किया जाकर न्यायिक कार्य सत्यनिष्ठा से निष्पादित कर रहा हूँ।

मेरे द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ श्री पंकज कुमार अग्रवाल के द्वारा दी गयी वार्षिक प्रविष्टी वर्ष 2024 को देखा गया तो अत्यन्त आश्चर्य व दुख के साथ पाया कि उनके द्वारा 01(a) में Doubtful Complaint received through the DGC and ADGC Criminal तथा कालम संख्या 01(b) में No (Complaint by the DGC and ADGC Criminal is pending)अंकित किया गया है।

मैं जब से न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ तब से लेकर आज तक इस प्रकार की प्रविष्टी मेरी कभी भी प्रतिकूल नहीं आयी है, क्योंकि मैं सदैव अपना कार्य ईमानदारी और मेहनत से करता चला आया हूँ। यह प्रथम बार है कि इस प्रकार की प्रविष्टी मेरी प्रतिकूल आयी है।

जिन दो प्रकरणों का जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ द्वारा विवरण अंकित किया गया है तथा उसके आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टी अंकित की गयी है, यह प्रथम बार नहीं है कि उनके द्वारा यह प्रकरण उठाया गया हो। जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री अनिल राठौर तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री अतुल कुमार सिंह की कथित शिकायतों के सम्बन्ध में जो अंकन उनके द्वारा किया गया है इन्हीं के सम्बन्ध में उनके द्वारा पूर्व में अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 1/प्र०लि०/2024 दिनांकित 01.03.2024(शिकायत द्वारा जनपद न्यायाधीश बदायुँ)जारी किया जाकर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुझसे इसी प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या आहूत की गयी थी, जिस आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा अपनी आख्या दिनाँक 05.03.2024 को जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ को प्रेषित कर दी गयी थी जो उनके कार्यालय में दिनांक 06.03.2024 को प्राप्त हुयी। उक्त आख्या की प्रतिलिपि मैं

इस प्रार्थनापत्र के साथ माननीय महोदय, के सादर परिशीलन हेतु संलग्न कर रहा हूँ। द्वितीय प्रकरण जो कि शिकायती प्रार्थनापत्र कथित रूप से लिखित द्वारा श्री अतुल कुमार सिंह, सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ द्वारा अंकन किया गया है, के सम्बन्ध में ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से आख्या आहूत किये जाने पर जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ द्वारा जारी अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2/प्र०लि० 2024 दिनांकित 01.03.2024 को मुझसे आख्या आहूत की गयी। जिस आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 06.03.2024 को जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ के कार्यालय में दिनांक 07.03.2024 को प्राप्त करायी गयी, जिसकी प्रति मय संलग्नक प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ माननीय महोदय के सादर परिशीलन हेतु संलग्न कर रहा हूँ।

अतः इस प्रकार विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री अनिल राठौर से सम्बन्धित कथित प्रकरण एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री अतुल कुमार सिंह से सम्बन्धित कथित प्रकरण जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ द्वारा पूर्व में भी माननीय न्यायालय के समक्ष अंकित किये जा चुके हैं, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ के कमेन्टस सहित मुझसे आख्या आहूत की गयी थी, जो कि मेरे द्वारा उक्त् प्रकार से माननीय न्यायालय की सेवा में सादर प्रेषित की जा चुकी है । अब जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ द्वारा पुनः उक्त वर्णित कथित शिकायतों को मेरी ए०सी०आर० में पुनःअंकित कर दिया गया है,जबकि पूर्व में ही दिनांक 05.03.2024 व दिनांक 06.03.2024 को न्यायालय के आदेश पर द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ से मेरे द्वारा अपना स्पष्टीकरण/आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। अब पुनः उन्हीं प्रकरणों का मेरी ए०सी०आर० में अंकित किया जाना एक प्रकार से एक ही कार्य के लिये एक व्यक्ति को दो बार दण्डित किया जाने के समान हो जायेगा, जो कि विधि द्वारा अनुमन्य नहीं है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री अनिल राठौर के द्वारा तत्समय जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ को मेरे न्यायालय के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत कभी भी नहीं दी गयी है। इस प्रकरण को जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ द्वारा स्वयं ही लिखकर माननीय न्यायालय को दिनांक 01 नवम्बर, 2023 को प्रेषित किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा जरिये जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ मय उनके कमैन्टस मुझसे आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित आख्या दिनांकित 05.03. 2024 को माननीय न्यायालय की सेवा में जरिये जनपद न्यायाधीश महोदय, बदायुँ द्वारा प्रेषित कर दी गयी है। अब पुनः माननीय जनपद न्यायाधीश बदायुँ के द्वारा यह प्रकरण मेरी वार्षिक प्रविष्टी में अंकित किया जाकर Intergity के सम्बन्ध में मेरी प्रविष्टी खराब कर दी गयी है, जो कि उपरोक्त् वर्णित परिस्थितियों में आधारहीन है, क्योंकि एक ही प्रकरण जनपद न्यायाधीश बदायुँ द्वारा माननीय न्यायालय को बार बार उल्लिखित किया जा रहा है। अतः इन परिस्थितियों में जबकि प्रकरण पूर्व से ही माननीय न्यायालय को प्रेषित है तथा मेरे द्वारा जिस पर अपनी आख्या माननीय न्यायालय की सेवा में प्रेषित की जा चुकी है, जिसके उपरान्त मुझे आज तक उस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई आदेश प्राप्त नहीं है अब इस स्तर पर पुनः उसी प्रकरण को अंकित करके वार्षिक प्रविष्टी में प्रतिकूल प्रविष्टी किये जाने सम्बन्धी कोई विषयवस्तु क्षेत्राधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश बदायुँ को प्राप्त नहीं रह गया था क्योंकि वे पूर्व में ही माह नवम्बर, 2023 व माह मार्च 2024 में यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय को सन्दर्भित कर चुके थे। अब पुनः उसी प्रकरण के आधार पर मेरी वार्षिक प्रविष्टी उनके द्वारा बिना आधार जानबूझकर प्रतिकूल की गयी है, जो कि सर्वथा अनुचित है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री अनिल राठौर के प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/आख्या जो कि माननीय न्यायालय को पूर्व में भी मेरे द्वारा दिनांक 05.03.2024 को सादर प्रेषित की जा चुकी है मुख्यतः इस प्रकार से है कि श्री अनिल राठौर द्वारा कोई भी लिखित शिकायत माननीय

जनपद न्यायाधीश बदायुँ श्री पंकज कुमार अग्रवाल को कभी भी नहीं की गयी है और न ही किसी लिखित शिकायत का उल्लेख जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ के द्वारा लिखित विवरण प्रेषित माननीय न्यायालय को दिनांकित 01.11.2023 में कहीं भी अकित किया गया है। जबकि सत्य यह है कि प्रार्थनापत्र दिनांक 01.11.2023 माननीय जनपद न्यायाधीश बदायुँ द्वारा माननीय न्यायालय को स्वयं ही लिखा गया है।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या–10(एन०डी०पी०एस०एक्ट) में पत्रावली एस० सी० सं० 02/2023 राज्य बनाम इन्द्रपाल आदि, अंतर्गत धारा 8/18 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना वजीरगंज की पत्रावली विचाराधीन रही।

उक्त पत्रावली में प्रार्थिनी/ अभियुक्ता श्रीमती गीता देवी द्वारा पूर्व में दिनांक 16.11.2022 को एक जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था , कि उक्त वाद में प्रार्थिनी को राजनैतिक प्रभाव में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी निर्दोष है। प्रार्थिनी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है और न ही जनता का कोई साक्षी है। थाना पुलिस द्वारा प्रार्थिनी व उसके पति इन्द्रपाल को पूछताछ के लिये थाने बुलाया गया था। प्रार्थिनी से कोई अफीम की बरामदगी नहीं हुई थी। थाना पुलिस द्वारा कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवाया गया है। प्रार्थिनी पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थिनी दिनांक 04.11.2022 से जिला कारागार बदायूं में निरूद्ध है। प्रार्थिनी के दौरान वाद भागने अथवा गवाहान तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। अतः श्रीमान् जी प्रार्थना है कि प्रार्थिनी का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थिनी को वाद तादौरान जमानत पर रिहा करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। जिस पर तत्कालीन सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2022 को निरस्त कर दिया गया।

जिसके उपरांत दिनांक 07.06.2023 को प्रश्नगत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं० 2130/2023 प्रार्थिनी/ अभियुक्ता गीता देवी द्वारा नवीन व अतिरिक्त तथ्यों पर इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी /अभियुक्ता

को उपरोक्त मामले में मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है। प्रार्थिनी /अभियुक्ता को गांव की राजनैतिक पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 05.04.2023 को निरस्त हो चुका है और जो बरामदगी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिखाई है, वह फर्जी है। जब प्रार्थिनी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ था, तब माननीय न्यायालय में प्रार्थिनी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया था। प्रार्थिनी के उक्त मामले में सहआरोपी इन्द्रपाल की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 08.05.2023 को स्वीकार हो चुकी है, जिसका जमानत आदेश पत्रावली में मौजूद है। प्रार्थिनी दिनांक 04.11.2022 से जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध है। प्रार्थिनी शुगर व हृदय गति की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है। प्रार्थिनी से जो बरामदगी थाना पुलिस ने दिखाई है, वह मिथ्या है। प्रार्थिनी एक घरेलू कामकाजी महिला है। प्रार्थिनी का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए जमानत देने को तैयार है। प्रार्थिनी के उपरोक्त मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और प्रार्थिनी पर जो थाना पुलिस ने जिस जगह बरामदगी दिखाई है, वहां चौराहा है और हर समय व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से लिखाई गयी है। प्रार्थिनी की जमानत से गवाहान व सबूतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उपरोक्त मामला पंजीकृत किये जाने का निश्चित समय अंकित नहीं है। प्रार्थिनी की जमानत से न्याय के हनन की कोई आशंका नहीं है। अतः श्रीमान् जी प्रार्थना है कि प्रार्थिनी का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थिनी को वाद तादौरान जमानत पर रिहा करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थिनी गीता पत्नी इन्द्रपाल के पैरोकार श्री राजेन्द्र पुत्र रक्षपाल की ओर से ब्यान हल्फी दिनांकित 07.06.2023 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मेरे उपरोक्त नाम पते पर अन्य कोई दूसरा व्यक्ति निवासी नहीं करता है। मैं अभियुक्ता गीता देवी का पैरोकार हूँ। अभियुक्ता गीता देवी की जमानत हेतु अन्य कोई जमानत प्रार्थना

पत्र अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। शपथ पत्र की मद सं० 1 ता 4 निजी ज्ञान में सत्य व सही है।

जिसके उपरांत मेरे द्वारा खुले न्यायालय में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सविस्तार सुना जाने व पत्रावली के गहन अवलोकन उपरांत आदेश मुख्यतः इस आशय का किया गया है कि पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। स्वयं अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी/ अभियुक्ता गीता की गिरफ्तारी एवं बरामदगी जिस जगह से दिखाई है, वह एक चौराहा है और वहां हर समय व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है। फिर भी अभियोजन की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी के नाम का अंकन नहीं किया गया है। प्रार्थिनी/ अभियुक्ता दिनांक 04.11.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थिनी/ अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रार्थिनी/ अभियुक्ता शुगर व हृदय गति की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है जिसका ऑपरेशन होना प्रस्तावित है। प्रार्थिनी/ अभियुक्ता एक महिला है। पत्रावली में आरोप विरचित हो चुके हैं तथा साक्ष्य में नियत है। सहअभियुक्त इन्द्रपाल की जमानत स्वीकृत हो चुकी है तथा वह जमानत पर रिहा है। प्रार्थिनी/ अभियुक्ता न्यायोचित जमानत संस्थित किये जाने को तैयार है। अतएव प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस मामले के गुण-दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थिनी/अभियुक्ता को उक्त अपराध में जमानत पर रिहा किये जाने के आधार न्यायहित में पर्याप्त है। प्रार्थना पत्र ससशर्त स्वीकार किया गया जो मुख्यतः इस प्रकार हैं कि-प्रार्थिनी /अभियुक्ता गीता पत्नी इन्द्रपाल द्वारा अंकन 50,000/-(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाये कि-प्रार्थिनी /अभियुक्ता विचारण में सहयोग करेगी, प्रार्थिनी /अभियुक्ता अभियोजन साक्षियों को डरायेगी, धमकायेगी नहीं। प्रार्थिनी /अभियुक्ता न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगी। प्रार्थिनी /

अभियुक्ता भविष्य में उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी। प्रार्थिनी /अभियुक्ता आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आयेगी तथा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी। अभियोजन साक्षीगण जब न्यायालय में उपस्थित आयेंगे तो उनसे जिरह करने हेतु प्रार्थिनी /अभियुक्ता कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी।

दिनांक 08.05.2023 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी गीता देवी के सह अभियुक्त इन्द्रपाल जो कि प्रार्थिनी का पति है एवं प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य अभियुक्त है, का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। फलस्वरूप इन्द्रपाल जमानत पर रिहा हुए। मुख्य अभियुक्त इन्द्रपाल को न्यायालय सं० 86, Criminal Misc. Bail Application No. 13916 of 2023 इन्द्रपाल बनाम स्टेट ऑफ यू० पी० में जमानत दी जा चुकी थी तथा मुख्य अभियुक्त इन्द्रपाल के जमानत आदेश की सत्यापित प्रति पत्रावली पर संलग्न है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाने की दशा में नये तथ्यों एवं आधारों पर संस्थित द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय रहता है तथा विधिनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायहित में निस्तारित किया जाता है।

प्रार्थिनी/ अभियुक्ता श्रीमती गीता देवी के द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कहीं भी इस आशय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है बल्कि उसके पैरोकार श्री राजेन्द्र पुत्र रक्षपाल निवासी गिरधरपुर, थाना सिरौली, जिला बरेली की ओर से प्रस्तुत ब्यान हल्फी में यह कथन किया गया है कि अभियुक्ता गीता देवी की जमानत हेतु अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। कोई अन्य विचाराधीन जमानत प्रार्थना पत्र न तो पत्रावली में संलग्न है एवं ना ही इस सम्बन्ध में पूरी पत्रावली पर किसी भी स्थान पर कोई पंक्ति अंकित है कि प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र के

अतिरिक्त जमानत प्रार्थना पत्र संस्थित करने की तिथि अथवा आदेश पारित किये जाने तक कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। किसी भी जमानत प्रार्थना पत्र पर दौरान सुनवाई हर बार मेरे द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन० डी० पी० एस० एक्ट), श्री अतुल कुमार सिंह से लिखित में आख्या आहूत की जाती थी जिनके द्वारा सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र दिनांकित 07.06.2023 के मुख्य पृष्ठ पर अपने हस्तलेख में इन्द्राज किया गया है कि Sir, Opposed and Copy received. इसके अलावा कहीं पर यह अंकित नहीं किया गया है कि इसी आशय का कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, ना ही दौरान बहस विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन० डी० पी० एस० एक्ट), श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा ऐसा कोई कथन किया गया कि इसी आशय का कोई अन्य ज़मानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। ना ही प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से ऐसा कोई कथन किया गया कि इसी आशय का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थिनी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2022 को दौरान विवेचना निरस्त किया गया था। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरूद्ध अपराध ) द्वारा दिनांक 02.01.2023 को आरोप पत्र में प्रसंज्ञान लिया गया। मैंने सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र पर खुले न्यायालय में सविस्तार सुनवाई किया जाकर सम्पूर्ण पत्रावली का गहन परिशीलन किये जाने के उपरांत गुण दोष के आधार पर एक स्पीकिंग आदेश द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित नये तथ्यों के आधार पर इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थिनी शुगर व हृदय गति की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है जिसका ऑपरेशन होना प्रस्तावित है। प्रार्थिनी एक वृद्ध महिला है तथा पूर्व में निस्तारित किये गये प्रार्थना पत्र के खारिज किये जाने के उपरांत एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका था एवं प्रार्थिनी लम्बे समय से जिला कारागार में निरूद्ध थी। द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग

करते हुए अपने उत्तम विवेक से न्यायहित में मेरे द्वारा स्वीकार किया जाकर निर्णीत किया गया है जो कि एक न्यायिक आदेश है तथा आज भी यथावत है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, न्यायालय संख्या–10 (एन०डी०पी०एस०एक्ट) में एस० सी० सं० 10/2023 राज्य बनाम असरफ अंशारी, अंतर्गत धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना वजीरगंज की पत्रावली विचाराधीन रही। उक्त पत्रावली में अभियुक्त अशरफ अंसारी द्वारा पूर्व में दिनांक 18.11.2022 को एक जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 10.11.2022 को ग्राम सुरसैना से आगे मन्दिर के समाने आंवला सुरसैना मार्ग पर वाहन चैकिंग के दौरान प्रातः लगभग 11:30 बजे पकड़ना बताया गया है एवं उसे मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन सं० UP24J0143 प्लेटिना रंग काला से आंवला की तरफ से आना बताया है एवं इसी मोटरसाइकिल की थैलेनुमा डिग्गी से प्लास्टिक की पिन्नी से (स्मैक) बरामद करना बताया गया है। इसी फर्द बरामदगी E चालान से 307 एम०वी० एक्ट में मोटरसाइकिल नं० UP24J0143 को सीज करना लिखा है। जबकि इस चालान का समय 13:29:49 लिखा जो प्रार्थी को तथाकथित पकड़े जाने के दो घण्टे बाद का है एवं स्थान में राजकुमार सिंह, चौहान विला वजीरगंज उत्तर प्रदेश लिखा है। यह स्थान थाने से लगभग 20 मीटर की दूरी पर है एवं फर्द बरामदगी के अनुसार प्रार्थी को पकड़े जाने वाले स्थान से 07 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। यदि मोटरसाइकिल प्रार्थी से मिली है तो चालान का समय भी वहीं होना चाहिए था जो प्रार्थी के पकड़े जाने का था। जबकि दोनों घटनाये अलग–अलग है एवं प्रार्थी की झूठी नामजदगी करने के उद्देश्य से दोनों घटनाओं को जोड़ दिया है। फर्द बरामदगी में स्मैक की बरामदगी मोटरसाइकिल की डिग्गी से दिखाई गयी है जबकि मोटरसाइकिल के चालान का समय 13:29:49 अर्थात प्रार्थी को तथाकथित पकड़ने के दो घण्टे बाद का है। प्रार्थी को जिस स्थान से पकड़ना बताया है। उस स्थान से 07 कि० मी० से अधिक की दूरी पर मोटरसाइकिल का चालान हुआ है। जिस समय प्रार्थी को पकड़ा गया तो उस समय जब प्रार्थी के पास मोटरसाइकिल थी ही नहीं तो मोटरसाइकिल से बरामद

होने वाली स्मैक को प्रार्थी से बरामद होना कैसे दिखा दिया गया। इसी से साबित होता है कि पुलिस ने प्रार्थी से झूठी बरामदगी दिखाई है जो प्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से की गयी है। फर्द बरामदगी में राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी की बात करने के बाद क्षेत्राधिकारी बिसौली को बुलाकर तलाशी की प्रक्रिया को करना बताया गया है एवं जनता के गवाहान न मिलने की बात लिखी गयी है। इस प्रकार सारी बरामदगी में पुलिस पार्टी ही रही है। राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी एवं जनता के गवाहान की उपस्थिति में तलाशी को बरामदगी में इसलिये महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे बरामदगी की प्रक्रिया संदिग्धता की सम्भावनाओं से दूर जाकर विश्वसनीयता की ओर बढ़ सके, परन्तु यहां पर पूरी बरामदगी की प्रक्रिया में पुलिस पार्टी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। पुलिस का यह आचरण ही घटना को पूरी तरह संदिग्ध बना देता है। प्रार्थी मोटरसाइकिल का मालिक नहीं है एवं मोटर साइकिल मालिक मोहल्ला दातांगज का रहने वाला है। जबकि प्रार्थी ग्राम कान्हा नगला थाना बिनावर का निवासी है। प्रार्थी का इस मोटरसाइकिल से सम्बन्ध ही नहीं है। वर्तमान प्रकरण में धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट आकर्षित नहीं होती है। एन० डी० पी० एस० एक्ट की धारा 2 (VIIa) एवं धारा 2(XXIIIa) के अन्तर्गत अल्पमात्रा एवं वाणिज्यिक मात्रा के शासनादेश की सूची में दिये गये कुल 239 क्रम सं० में स्मैक का नाम भी नहीं है। ऐसे में अल्प मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण कैसे हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि जो पदार्थ सूची में नहीं है, उस नाम के पदार्थ की बरामदगी पुलिस पार्टी द्वारा किस आधार पर दिखाई जा सकती है। इन समस्त आधारों से यह पूर्णतया साबित होता है कि पुलिस ने फर्जी एवं बनावटी बरामदगी दिखायी है। प्रार्थी पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी दिनांक 10.11.2022 से जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध है। प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दिये जाने के उपरानत नियत तिथि पर हाजिर अदालत आता रहेगा।

जिस पर तत्कालीन सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2022 को निरस्त कर दिया गया।

जिसके उपरांत दिनांक 07.10.2023 को प्रश्नगत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं० 3410/2023 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। विधि का सुस्थापित नियम है कि यदि दो सम्भावनायें हो और दोनों सम्भावनायें परस्पर विरोधाभासी होते हुये घटना को संदिग्धता के घेरे में लाती हों तो किसी भी स्थिति में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। वर्तमान प्रकरण में वादी की फर्द के आधार पर मुकदमा थाना वजीरगंज में पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने का समय 13:29 पी० एम० है एवं मोटरसाइकिल सं० UP24J0143 प्लेटिना रंग काला का चालान 01:29:49 पी० एम० पर घटना स्थल से सात किलोमीटर दूर थाना वजीरगंज से लगभग 20 मीटर की दूरी पर राजकुमार सिंह थाना वजीरगंज है। इस प्रकार से दो अलग घटनायें हैं। पहली सात किलोमीटर दूरी पर सुरसेना मन्दिर के पास दूसरी मोटरसाइकिल चालान की थाने से 20 मीटर दूरी पर जो स्टेट हाइवे है। जबकि फर्द बरामदगी में मोटरसाइकिल चालान सुरसेना मन्दिर के पास होना लिखा है। यदि मोटरसाइकिल का चालान फर्द बरामदगी में लिख दिया और फर्द बरामदगी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गयी तो फिर मोटरसाइकिल का चालान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाने के पास ही कैसे हुआ। इसी मोटरसाइकिल से स्मैक की बरामदगी दिखायी गयी है। अभियुक्त के शरीर या कपड़ों से कोई बरामदगी नहीं हुई है। बरामदगी का जो भी जिक्र है वह मोटर साइकिल की डिक्की से है। अभियुक्त मोटर साइकिल का मालिक भी नहीं है। जब यह बात जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के समय माननीय न्यायालय के समक्ष आई और माननीय न्यायालय द्वारा वादी विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी, निरीक्षक यातायात से लिखित स्पष्टीकरण मांगा तो एक दूसरा चालान तीसरे स्थान गुठीला का 12:55:49 का माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रकरण की प्रक्रिया बिना स्वतंत्र साक्ष्य के

केवल पुलिस पार्टी के द्वारा की जाती है। कोई जनता का गवाह साथ में नहीं होता है। इसलिए जब वादी द्वारा एक ही मोटरसाइकिल के दो अलग–अलग चालान प्रस्तुत किये गये हैं और वह दोनों चालान घटनास्थल के अतिरिक्त स्थान पर दर्शित हो रहे हैं। जिसमें एक स्थान सात किलोमीटर की दूरी दूसरा स्थान 03:28 दूरी का है। घटनास्थल से सम्बन्धित मोटरसाइकिल का चालान का कोई कागज ना हो तो पुलिस कार्यवाही पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। एक ही मोटरसाइकिल का दो बार चालान कैसे हो सकता है। जब घटनास्थल पर मोटरसाइकिल के चालान का कोई प्रपत्र नहीं है तो फर्द बरामदगी में जो घटनास्थल पर लिखनी बतायी गयी है में मोटरसाइकिल का चालान पंजीकृत कैसे है। विवेचक द्वारा वाद की कार्यवाही साबित करने के उद्देश्य से सारी कार्यवाही की गयी है। यदि विवेचक निष्पक्ष विवेचना की ओर अग्रसर होते तो मोटरसाइकिल के स्वामी के ब्यान जरूर करते। क्योंकि बरामदगी मोटरसाइकिल से हुई है न कि प्रार्थी से। विवेचक ने घटना स्थल से आसपास के किसी व्यक्ति के ब्यान दर्ज करने का प्रयास नहीं किया है और न ही किसी स्वतंत्र गवाह के ब्यान दर्ज किये हैं। पूरी विवेचना में केवल पुलिस पार्टी के ही ब्यान दर्ज हुये हैं। अन्य कोई साक्ष्य विवेचक द्वारा एकत्रित नहीं किया है। निरीक्षक यातायात द्वारा माननीय न्यायालय में भेजी गयी स्पष्ट आख्या में लिखा है कि ई –चालान अपलोड होने के पश्चात कोई बदलाव सम्भव नहीं है। किसी कारणवश ई –चालान में कोई त्रुटि यातायात निदेशालय उ० प्र० लखनऊ के माध्यम से एन० आई० सी० द्वारा ई–चालान में बदलाव सम्भव है। इसी से स्पष्ट होता है कि चालान प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने के बाद हुआ है। यह बात पकड़ में आ जाने पर वादी/ विवेचक ने लखनऊ से दूसरा चालान बनवा लिया लेकिन गलत करने पर कोई न कोई चूक हो ही जाती है। इसी कारण दूसरे चालान में भी घटना का स्थान घटनास्थल से 3.28 किलोमीटर की दूरी पर हो गया है, ऐसे में ई–चालान घटनास्थल से कैसे माना जा सकता है। फर्द बरामदगी में राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी की बात करने के बाद क्षेत्राधिकारी बिसौली को बुलाकर तलाशी की प्रक्रिया को करना बताया गया है एवं जनता के गवाहान न

मिलने की बात लिखी गयी है। इस प्रकार सारी बरामदगी में पुलिस पार्टी ही रही है। राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी एवं जनता के गवाहान की उपस्थिति में तलाशी को बरामदगी में इसलिए महत्वूर्ण माना गया है जिससे बरामदगी की प्रक्रिया संदिग्धता की सम्भावनाओं से दूर जाकर विश्वसनीयता की ओर बढ़ सके, परन्तु यहां पर पूरी बरामदगी की प्रक्रिया में पुलिस पार्टी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। पुलिस का यह आचरण ही घटना को पूरी तरह संदिग्ध बना देता है। एन० डी० पी० एस० एक्ट की धारा 2(VIIa) एवं धारा 2(XX IIIa) के अन्तर्गत अल्प मात्रा एवं वाणिज्यिक मात्रा के शासनादेश की सूची में दिये गये कुल 239 क्रम सं० में स्मैक का नाम भी नहीं है, ऐसे में अल्प मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण कैसे हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि जो पदार्थ सूची में नहीं है उस नाम के पदार्थ की बरामदगी पुलिस पार्टी द्वारा किस आधार पर दिखाई जा सकती है, इन समस्त आधारों से यह पूर्णतयाः साबित होता है कि पुलिस ने फर्जी एवं बनावटी बरामदगी दिखाई है। प्रार्थी/ अभियुक्त पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा जमानत दिये जाने के उपरान्त नियत तिथि पर हाजिर अदालत आता रहेगा। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र मिन० अफसर अली उम्र 50 वर्ष पुत्र फैज्जुला निवासी ग्राम कान्हा नगला थाना बिनावर जिला बदायुँ दिनांकित 07.10.2023 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मेरे उपरोक्त नाम पते पर अन्य कोई दूसरा व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रार्थी के पुत्र का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2022 को माननीय न्यायालय से निरस्त किया गया। प्रार्थी के पुत्र पर अभी आरोप तय नहीं हुआ है एवं प्रार्थी के पुत्र द्वारा अपना द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। शपथकर्ता मुकदमा व हालात से बखूबी वाकिफ एवं मुकदमे में पैरोकार है एवं अभियुक्त अशरफ का सगा पिता है। शपथकर्ता का पुत्र अभियुक्त

अशरफ दिनांक 10.11.2022 से जिला कारागार बदायूँ में निरूद्ध है। शपथपत्र की मद सं० 1 ता 4 मेरे निजी ज्ञान में सत्य व सही है।

जिसके उपरांत मेरे द्वारा पत्रावली के अवलोकन उपरांत आदेश दिनांकित 12.10.2023 मुख्यतः इस आशय का पारित किया गया कि पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास बताया गया है, परन्तु उक्त अभियोग में अभियुक्त की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संस्थित किया गया था जिसे संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 12.12.2022 को निस्तारित किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत विवेचक द्वारा इस न्यायालय में आरोप पत्र संस्थित किया गया जिस पर सुनवाई किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया है। अतः इस स्तर पर विवेचना पूर्ण हो चुकी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के स्वीकार किये जाने की स्थिति में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्यों से छेड़छाड़ किये जाने की सम्भावना समाप्त हो चुकी है। अभियुक्त दिनांक 10.11.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र के खारिज होने की तिथि के उपरांत भी प्रार्थी/ अभियुक्त को जेल में एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका है। इस स्तर पर प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित होने के उपरांत उपरोक्त वर्णित नवीन आधार प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में उत्पन्न होते प्रतीत हो रहे हैं। अतएव प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध में निम्न शर्तों के अनुसार जमानत पर रिहा किये जाने के आधार न्यायहित में पर्याप्त है। प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया गया जो कि मुख्यतः इस प्रकार है कि– प्रार्थी /अभियुक्त असरफ अंसारी पुत्र अफसर अंसारी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 3410/2023, मु०अ०सं०–407/2022, धारा– 8/21 एन० डी० पी०

एस० एक्ट, थाना–वजीरगंज, जिला– बदायूँ स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाये कि– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा , प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। प्रार्थी /अभियुक्त आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आयेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा। अभियोजन साक्षीगण जब न्यायालय में उपस्थित आयेंगे तो उनसे जिरह करने हेतु प्रार्थी/अभियुक्त कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाने की दशा में नये तथ्यों एवं आधारों पर संस्थित द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय रहता है तथा विधिनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायहित में निस्तारित किया जाता है।

अभियुक्त असरफ अंशारी द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कहीं भी इस आशय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है बल्कि शपथ पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी के पुत्र का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। प्रार्थी के पुत्र पर अभी आरोप तय नहीं हुआ है एवं प्रार्थी के पुत्र द्वारा अपना द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

कोई अन्य विचाराधीन जमानत प्रार्थना पत्र न तो पत्रावली में संलग्न था एवं ना ही इस सम्बन्ध में पूरी पत्रावली पर किसी भी स्थान पर कोई पंक्ति अंकित थी कि प्रश्नगत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त जमानत

प्रार्थना पत्र संस्थित करने की तिथि अथवा आदेश पारित किये जाने की तिथि तक कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में तत्समय विचाराधीन था। जमानत प्रार्थना पत्र पर दौरान सुनवाई मेरे द्वारा हमेशा ही विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन० डी० पी० एस० एक्ट), श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा लिखित में आख्या आहूत की जाती रही थी। उनके द्वारा सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र पर कहीं पर यह अंकित नहीं किया गया था कि इसी आशय का अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य माननीय न्यायालय में विचाराधीन है ना ही दौरान बहस उनके द्वारा ऐसा कोई कथन किया गया कि इसी आशय का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। ना ही प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से ऐसा कोई कथन किया गया कि इसी आशय का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र 12.12.2022 को निरस्त हुआ था एवं न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरूद्ध अपराध ) द्वारा दिनांक 06.01.2023 को आरोप पत्र में प्रसंज्ञान लिया गया। अतः प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संस्थित किये जाने की दिनांक एवं आदेश पारित किये जाने की दिनांक तक आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान नहीं लिया गया था। मैंने सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र पर खुले न्यायालय में सविस्तार सुनवाई किया जाकर सम्पूर्ण पत्रावली का गहन परिशीलन किये जाने के उपरांत गुण दोष के आधार पर एक स्पीकिंग आदेश द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित नये तथ्यों के आधार पर इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि पूर्व में खारिज किये गये प्रार्थना पत्र के खारिज किये जाने के उपरांत एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका था एवं प्रार्थी लम्बे समय से जिला कारागार में निरूद्ध था द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अपने उत्तम विवेक से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर निस्तारित किया गया।

प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ अभियुक्ता गीता देवी द्वारा संस्थित प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र एवं द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियां

संस्थित की जा रही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी गीता देवी द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र के दिनांक 30.11.2022 को खारिज करने के उपरांत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांकित –07.10.2023 में नवीन तथ्य एवं आधार लिये गये थे। द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न ब्यान हल्फी की छायाप्रति भी प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ माननीय महोदय के परिशीलन हेतु संलग्न की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी गीता देवी द्वारा अपने समर्थित ब्यान हल्फी में यह अंकित किया गया है कि इस न्यायालय के अतिरिक्त किसी न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।

मेरी जानकारी में उपरोक्त वर्णित दोनों ही जमानत आदेश आज तक यथावत है तथा किसी भी माननीय न्यायालय से ना खारिज किये गये हैं, न बदले गये हैं। उपरोक्त वर्णित दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों पर विद्वान विशेष लोक अभियेाजक (एन० डी० पी० एस० एक्ट), श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा इस प्रकार की कोई आपत्ति अंकित नहीं की गयी है कि इसी सम्बन्ध में कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसा कोई कथन किसी भी पक्षकार द्वारा अथवा पत्रावली पर उपरोक्त वर्णित जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई किये जाते समय मेरे समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त वर्णित दोनों आदेश सम्बन्धित न्यायालय के विषय वस्तु क्षेत्राधिकार के भीतर थे। प्रश्नगत आदेश न्यायिक आदेश हैं जो कि मेरे द्वारा विधिक तौर पर न्यायहित में सद्भावना पूर्वक पारित किये गये हैं और यदि कोई भी पक्षकार उपरोक्त वर्णित आदेशों से विधिक तौर पर क्षुब्ध है तो उन्हें सक्षम न्यायालयों में रिवीजन तथा अपील के माध्यम से न्यायिक आदेश होने के कारण इन आदेशों के विरूद्ध न्यायिक उपचार उपलब्ध है।

अभियुक्त असरफ अंसारी का पूर्व में खारिज जमानत प्रार्थना पत्र तथा द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र जो कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2023 को स्वीकार किया गया मय शपथ पत्र की छायाप्रति उस आख्या के साथ इस आशय से संस्थित की गयी कि उपरोक्त वर्णित असरफ अली द्वारा

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र से भिन्न तथा नवीन आधार लिये गये थे। असरफ अली द्वारा अपने पूरे जमानत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में यह अंकित नहीं किया गया है कि किसी अन्य सक्षम न्यायालय में इस आशय का कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। ना ही दौरान बहस विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस० एक्ट) श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा इस आशय का कोई कथन किया गया कि कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में इसी आशय का विचाराधीन है।

इन तथ्य एवं परिस्थितियों में मेरे द्वारा इस आशय की आख्या माननीय न्यायालय के सहानुभूतिपूर्वक विचारण हेतु दिनांक 05.03.2024 को सादर प्रेषित की गयी।

द्वितीय प्रकरण कथित शिकायत द्वारा श्री अतुल कुमार सिंह, सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रकरण की तरह ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जरिये जनपद न्यायाधीश महोदय बदांयु से मय कमेन्टस आख्या आहूत की गयी, जिस आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा अपनी आख्या नियमानुसार दिनांक 06.03.2024 को प्रेषित कर दी गयी। अतः एक ही प्रकरण को जरिये वार्षिक प्रविष्टी जनपद न्यायाधीश बदायुँ महोदय द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनः इंगित की गयी है। मुझे एक ही आधारहीन प्रकरण के सम्बन्ध में दो बार सन्दर्भित किया गया है, जो कि न्याय के स्वर्णिम सिद्वान्त प्राकृतिक न्याय की मंशा के विपरीत है। उक्त वर्णित पत्र द्वारा श्री अतुल कुमार सिंह, सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के सम्बन्ध में मेरी आख्या/स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि तत्समय मेरे सम्बन्धित न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)(न्यायालय संख्या–10) में एस० टी० सं० 49/2019 राज्य बनाम इब्ने हसन+ 1, अंतर्गत धारा 8/18 एन० डी० पी० एस० एक्ट की पत्रावली विचाराधीन रही। जिसमें अभियुक्त इब्ने हसन पुत्र मेंहदी हसन की ओर से एक जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.01.2024 जिसे दिनांक 04.01.2024 को इस आशय का संस्थित किया गया कि निवेदन है कि उपरोक्त सत्रवाद में प्रार्थी को जुर्म से

इकबाल है। जुर्म इकबाल के आधार पर प्रार्थी अपना मुकदमा समाप्त करवाना चाहता है। प्रार्थी बहुत ही गरीब मजदूर व्यक्ति है। मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त सत्रवाद को कम् से कम अर्थदण्ड से दण्डित कर निरस्त फरमाने की कृपा की जाये।

संबंधित प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड की छायाप्रति कागज सं० 24 ख संस्थित किया गया जिसे विद्वान अधिवक्ता श्री जीशान खान एडवोकेट के द्वारा संस्थित किया गया था। प्रार्थना पत्र मय पत्रावली सेशन क्लर्क श्री रवीन्द्र कुमार यादव द्वारा न्यायालय के पेशकार श्री शक्ति राहुल को पेश किये जाने हेतु दी गयी। न्यायालय पेशकार द्वारा खुले न्यायालय में पत्रावली पेश की गयी। नियमानुसार न्यायालय में तथा न्यायालय के द्वार पर पत्रावली के नाम की पुकार की गयी जिस पर प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। प्रार्थी/ अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा खुले न्यायालय में जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर बल दिया गया। पत्रावली प्रस्तुत किये जाते समय शिकायतकर्ता/ विद्वान विशेष लोक अभियोजक, श्री अतुल कुमार सिंह भी समक्ष न्यायालय उपस्थित थे। जिनके द्वारा कथन किया गया कि जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र एक प्रक्रिया मुल्जिम तथा न्यायालय के मध्य की है। इसमें अभियोजन का कोई विशेष कार्य नहीं है। जुर्म स्वीकारोक्ति से भी अभियोजन के लिए वाद दोषसिद्ध की श्रेणी में ही आता है।

मेरे द्वारा एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कोर्ट मोहर्रिर तथा सेशन क्लर्क से पूछा गया कि मुल्जिम कितने दिन जेल में रहा है तथा उससे क्या प्राप्त है। तब उनके द्वारा पत्रावली को देखकर यह बताया गया कि इस मुल्जिम पर तीस किलो डोडा प्राप्त है तथा यह लगभग सात माह जेल में रहा। तब मेरे द्वारा पत्रावली का स्वयं परिशीलन किया गया तथा पत्रावली में विरचित आरोप देखा गया।

आरोप तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 02.02.2016 को विरचित किया गया था, जिसका परिशीलन किया गया। सहवन ही आरोप इस प्रकार से बनाया गया है कि पढ़ने में यह आया कि उक्त बरामद बोरों में से प्रत्येक 'बोरों का वजन तीस –तीस किलोग्राम था तथा दो मुल्जिमान इब्ने हसन व भूरा का नाम बोल्ड करके लिखा था। इस प्रकार मुझे उस समय इतना ही समझ में आया कि प्रत्येक बोरों में तीस–तीस किलोग्राम डोडा तथा दो मुल्जिम। अतः एक मुल्जिम पर तीस किलोग्राम डोडा बरामद हुआ। फिर देखा कि यह मुल्जिम सात महीने जेल में रहा है। इस पर उस वक्त मुझे जो आदेश न्याय की दृष्टि से उचित लगा वो मेरे द्वारा पारित किया गया। वह मात्र इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया कि इब्ने हसन मुल्जिम के पास से कुल तीस किलोग्राम डोडा बरामद हुआ तथा यह लगभग सात महीने जेल में रहा। तब मेरे द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि–

पुकार करायी गयी। अभियुक्त इब्नेहसन न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्त इब्नेहसन के द्वारा प्रस्तुत अपराध में धारा–8/15 एन०डी०पी०एस० एक्ट में जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र के आधार पर उसने स्वेच्छया से जुर्म इकबाल होना कहा है। अतः अभियुक्त इब्नेहसन को स्वेच्छया से जुर्म इकबाल करने के कारण धारा–8/15 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

सजा के प्रश्न पर अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद में जुर्म इकबाल अपनी स्वेच्छया से स्वीकार किया गया है। उक्त आधार पर न्यायहित में प्रार्थी द्वारा उक्त वाद निर्णीत किये जाने की याचना की गयी। उपरोक्त मामले में अभियुक्त द्वारा पूर्व में 7 माह के कारावास की अवधि बिता चुका है। अतः मैं अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि व 5,000/– रूपये(पांच हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किये जाने योग्य समझता हूँ। आदेश –अभियुक्त/दोषसिद्ध इब्नेहसन द्वारा जेल में बितायी गई अवधि व 5,000/–रूपये(पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न देने पर दोषसिद्ध को 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

यह आदेश मेरे द्वारा सदभावना पूर्वक पारित किया गया। आख्या हेतु आदेश प्राप्त होने तथा पत्रावली को मंगाकर देखने पर पता चला कि उक्त बरामद बोरों में से प्रत्येक बोरे का वजन तीस–तीस किलोग्राम से ऊपर की पंक्तियों में शब्द 13 बोरियां अंकित है जो कि तब सहवन मेरे संज्ञान में आने से रह गया और न केवल मेरे संज्ञान में आने से रहा वरन् प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, सेशन क्लर्क से भी जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी मुझे तीस किलो ग्राम डोडा एवं सात माह की अवधि कारावास में बिताना बताया। यही कथन इस न्यायालय के कोर्ट मोहर्रिर द्वारा किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार सिंह के समक्ष भी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था । उनके द्वारा भी तत्समय न्यायालय को इस तथ्य से अवगत नहीं करवाया गया कि असल में तीस–तीस किलो के बोरे से ऊपर की पंक्तियों में कुल 13 बोरे शब्द भी अंकित है। अंत में जब मेरे द्वारा यह आदेश पारित कर दिया गया तब आशुलिपिक सुश्री निशाखा द्वारा यह आदेश टंकित करके मेरे समक्ष लाया गया। जिसका पुनः परिशीलन करने के उपरांत मेरे द्वारा इस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये गये। यह त्रुटि मेरे तथा तत्समय न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण से सहवन हुई है। जानबूझकर नहीं की गयी है। ऐसी सहवन हुई त्रुटियों के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत अध्याय 35 में अनियमित कार्यवाहियां का एक चैप्टर अलग से दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र तत्समय न्यायालय के कार्यालय के सेशन क्लर्क के सम्मुख प्रस्तुत होने पर सेशन क्लर्क द्वारा प्रार्थना पत्र को पत्रावली में लगाकर पेशी हेतु न्यायालय में भेज दिया जाता है। तब खुले न्यायालय में न्यायालय पेशकार पत्रावली में डायस पर से पुकार किया जाकर तथा न्यायालय के द्वार पर पुकार करवाया जाकर पत्रावली पेश करते हैं। प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.01.2024 पर विद्वान अधिवक्ता श्री जीशान खान द्वारा समक्ष न्यायालय पत्रावली पर बहस की गयी। दौरान बहस न्यायालय में

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, श्री अतुल कुमार सिंह मौजूद रहे। प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.01.2024 को इस आशय से संस्थित किया गया जो कि उपरोक्त वर्णित है। परन्तु विद्वान विशेष लोक अभियोजक, द्वारा समक्ष न्यायालय ऐसा कोई कथन नहीं किया गया ना ही इस ओर कोई ध्यान इंगित करवाया गया कि प्रस्तुत पत्रावली में मात्रा वाणिज्यिक प्रकार की है। जबकि न्यायालय सत्र लिपिक, न्यायालय पेशकार, विद्वान विशेष लोक अभियेाजक, आशुलिपिक एवं स्वयं मेरे दृष्टि में यह तथ्य सहवन सामने नहीं आ पाया ना ही इस ओर ध्यान आकर्षित हो पाया । यदि प्रार्थना पत्र के पेश किये जाने के व आदेश पारित किये जाने के स्तर पर मुझे यह ज्ञात हो जाता कि पत्रावली में वाणिज्यिक मात्रा निहित है तो मैं सही मात्रा के हिसाब से निर्णय पारित करता एवं इसका उल्लेख अवश्य ही अपने निर्णय में करता। परन्तु अब प्रश्नगत निर्णय में कहीं पर भी मेरे द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि बरामद माल की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी की है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई व निस्तारण के समय मुझे सम्बन्धित प्रार्थना पत्र में निहित बरामद माल की मात्रा का सही–सही ज्ञान नहीं हो पाया था तथा वाणिज्यिक मात्रा की बजाय बरामद माल को एक मुल्जिम पर मात्र तीस किलोग्राम होना अतः माध्यमिक मात्रा समझकर अभियुक्त को दण्डित कर दिया गया। यह त्रुटि कई हाथों से होती हुई सहवन हो गयी है। मेरे द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है।

इस सम्बन्ध में अध्याय 35 की धारा 465 दं० प्र० सं० 1973 सटीक तौर पर लागू होती है तथा मुख्यतः यह प्रावधानित करती है कि सक्षम आधिकारिकता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश विचारण के पूर्व या दौरान परिवाद, सम्मन, वारण्ट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्यवाही में हुई या इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही में हुई किसी गलती, लोप या अनियमितता या अभियोजन के लिये मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण अपील, पुष्टीकरण का पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक न तो उलटा जाएगा और न परिवर्तित किया जायेगा , जब तक न्यायालय की यह राय नहीं है कि उसके कारण वस्तुतः

न्याय नहीं हो पाया है। अतः इन तथ्य एवं परिस्थितियों में जबकि इस न्यायालय को सम्बन्धित पत्रावली एस० टी० सं० 49/2019 राज्य बनाम इब्ने हसन+ 1, अंतर्गत धारा 8/18 एन०डी०पी०एस० एक्ट का विचारण तथा निर्णय किया जाने का विषय वस्तु क्षेत्राधिकार प्राप्त था तथा न्यायालय द्वारा विधिक तौर पर निर्णय पारित किया गया, हस्ताक्षरित किया गया तथा जिस निर्णय का क्रियान्वयन पूर्ण रूपेण हो चुका है तथा पूरी प्रक्रिया के दौरान इस न्यायालय के किसी भी कर्मचारी चाहे न्यायालय के सत्र लिपिक, पेशकार, प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/ अभियुक्त अथवा विशेष लोक अभियोजक तथा स्वयं मेरे संज्ञान तथा आशुलिपिक के संज्ञान में भी यह तथ्य आने से सहवन छूट गया कि पत्रावली में असल में वाणिज्यिक मात्रा है तथा आरोप को देखते हुए जो साधारणतया पढ़ने में यह आ रहा था कि एक मुल्जिम पर कुल तीस किलोग्राम का एक बोरा ही बरामद है, को दृष्टिगत रखते हुए सहवन सम्बन्धित निर्णय पारित किया गया तथा मुल्जिम को तो दोषसिंद्ध ही किया गया। उसे जेल की सजा से भी दण्डित किया गया तथा जुर्माना भी लगाया गया। मुल्जिम के द्वारा दोनो प्रकार की सजाओं का वहन भी कर लिया गया है। अतः यह स्थिति धारा 465 दं० प्र० सं०,1973 से पूर्ण रूपेण कवर होती है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा प्रतिपादित एक विधि व्यवस्था Lalit Yadav Vs. State (Nct of Delhi) on 1 November, 2012 में सेशन न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रावधानित से कम सजा दे दी गयी तथा मिनिमम से कम सजा दिये जाने के कोई कारण भी लेखबद्ध नहीं किये गये जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा यह प्रावधानित किया गया कि मिनिमम से कम सजा दिया जाना तथा उसके कारण को लेखबद्ध नहीं किया जाना निर्णय को दोषपूर्ण नहीं बनाता है जब तक कि ऐसा निर्णय पारित किये जाने वाले न्यायालय को सम्बन्धित पत्रावली को निर्णीत किया जाने का विषय वस्तु क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सेशन न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को अपास्त नहीं किया गया तथा दण्डादेश निर्णय अपनी जगह पर यथावत रहा।

हाल ही में इसी सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा M/S Pawan Garments and 2 others Versus State of U.P. में माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि When hundreds of cases are listed each day before judges in District Courts, every mistake during the judicial proceedings may not always be due to any ulterior motive Hon'ble Mr. Justice Khan made the comment while hearing a case in which it was alleged that there had been a manipulation in the order passed by the Chief Judicial Magistrate (CJM) in Lucknow in a property dispute case.

इस सम्बन्ध में कुछ अन्य विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत उपरोक्त आख्या के साथ संलग्न की गयी थी। आरोप विरचन की छायाप्रति, जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.01.2024 मय आदेश की छायाप्रतियां भी उपरोक्त आख्या के साथ संलग्न की गयी थी।

इन तथ्य एवं परिस्थितियों में सम्बन्धित निर्णय मेरे द्वारा तत्समय सद्भावनापूर्वक पारित किया गया था। मेरे संज्ञान में सम्बन्धित आदेश के विरूद्ध आज तक कोई भी अपील या पुनरीक्षण अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में दाखिल नहीं की गयी है। प्रश्नगत आदेश एक न्यायिक आदेश है, जो कि यथावत है।

इन तथ्य एवं परिस्थितियों में मेरे द्वारा तत्समय सम्बन्धित आख्या माननीय न्यायालय के सहानुभूतिपूर्वक विचारण हेतु सादर प्रेषित की गयी थी।

महोदय, किसी भी प्रकार की विषय वस्तु से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण यदि माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित है तब किसी भी अन्य के द्वारा उस प्रकरण विशेष के सम्बन्ध में पुनः कोई भी कथन किये जाने अथवा उस प्रकरण को दृष्टिगत रखकर कोई प्रतिकूल निर्णय किसी के विरूद्ध लिया जाना समुचित नहीं है। अतः मात्र इसी आधार पर जनपद न्यायाधीश महोदय बदांयु द्वारा मुझे

दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टी एक्सपंज(Expunge) किये जाने योग्य है । उक्त प्रविष्टियां न्यायहित में एक्सपंज की जाये।

क्रमांक संख्या 01(b) के सम्बन्ध में कथन है कि मेरे द्वारा बदायुँ के तीन वर्ष के पूर्ण कार्यकाल में जिसमें मेरे द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित गति न्यायालय) महिलाओं के विरूद्व अपराध तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम) के न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य किये जाने में मेंरे विरूद्व कोई भी शिकायत कहीं पर भी कभी भी किसी भी प्रकार की किसी भी वादकारी अथवा बार की ओर से नहीं की गयी है। उपरोक्त् वर्णित कथित शिकायत जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री अनिल राठौर द्वारा जनपद न्यायाधीश बदांयु महोदय से की ही नहीं गयी है, बल्कि उनके द्वारा उक्त पत्र स्वयं ही माननीय न्यायालय, को प्रेषित किया गया हैं। जहां तक प्रार्थनापत्र द्वारा श्री अतुल कमार सिंह, सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) का सम्बन्ध है तो पूर्व में उनके द्वारा मौखिक रूप से मुझसे यह कह दिया गया था कि उनके द्वारा मेरे विरूद्व कोई भी शिकायती प्रार्थनापत्र दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) स्वयं वादकारी नहीं है न ही वे दोनो ही बार के हिस्सा हैं। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) जनपद न्यायाधीश महोदय के मातहत ही अपने कत्वर्यों का निर्वहन करते हैं तथा स्वयं की निजी प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं। अतः इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि कालम संख्या 01(b) में शब्द NO जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ द्वारा भावुक व उत्तेजित होकर अंकित कर दिया गया है। अतः प्रश्नगत प्रविष्टी Expunge किये जाने योग्य है। अतः Expunge की जाये।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित दोनो कथित शिकायत मेरी सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में है ही नहीं। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) जो कि जनपद

न्यायाधीश महोदय बदांयु के प्रशासनिक प्रभार के अधीन होकर कार्य करते हैं, के द्वारा मेरी सत्यनिष्ठा को प्रश्न चिन्हित किया ही नहीं गया है। उनके द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि अपनी सत्यनिष्ठा से समझौता किया जाकर मेरे द्वारा उक्त् वर्णित न्यायिक आदेश पारित किये गये हैं। अतः उपरोक्त वर्णित दोनो शिकायतों को इंगित करते हुये सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में मेरी प्रविष्टी को प्रतिकूल किया जाना न्यायोचित नहीं है।

प्रविष्टी कालम संख्या 01(e)(iv) में जनपद न्यायाधीश महोदय बदांयु द्वारा NIL अंकित किया गया हैं। मैं न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित गति न्यायालय) महिलाओं के विरूद्व अपराध ,में मात्र. दिनांक 28.04.2023 तक कुल 28 दिन ही कार्यरत रहा। इतने कम समय में कुल आठ सम्बन्धित पत्रावलियों में पूरी प्रक्रिया व कार्यवाही की गयी , परन्तु सम्बन्धित न्यायालय में मात्र 28 दिन तक कार्य किये जाने में किसी पत्रावली को पूर्ण रूप से निर्णीत किये जाने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका था। अतः पृथक से कोई निष्पादन वाद निर्णीत नहीं किया जा सका।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या – 10(एन०डी०पी०एस०एक्ट)में Arbitration से सम्बन्धित पत्रावली पूर्व से लम्बित नहीं थी, बल्कि जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ श्री पंकज कुमार अग्रवाल के द्वारा हाल ही में इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुयी थीं। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम) न्यायालय संख्या–10 में जो पाँच पत्रावलियों की प्रविष्टिंया की गयी है वह arbitration की पत्रावलियां हैं न कि Execution की। उक्त न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम ) **–10** के न्यायालय में एक भी निष्पादन वाद लम्बित नहीं था।

जनपद न्यायाधीश बदायुँ द्वारा कालम संख्या 1(f) में B अंकित किया गया है। मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित गति न्यायालय)(महिलाओं के विरूद्व अपराध )तथा अपर जिला एवं

सत्र न्यायाधीश (स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम ) के न्यायालय में कार्य किया गया। पूर्ण वित्तीय वर्ष में, मैं Committee relativing to monitoring of disposal of pending oldest cases का सदस्य रहा तथा तथा प्रभारी अधिकारी टेलीफोन भी रहा। विभिन्न प्रकार के कुल 06 प्रकरण लोक अदालत में मेरे द्वारा निस्तारित किये गये। महिलाओं के विरूद्ध अपराध के वाद, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से मिले निर्देशो का पालन किये जाने हेतु वाद निर्णीत किये गये। माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त किया जाकर लाँ में पार्ट टाईम पी०एच०डी० कर रहा हूँ ।

पूर्ण वित्तीय वर्ष में मेरे द्वारा Special Training Course for the Additional District & Sessions Judges Exercising power of Remand and Trial under N.D.P.S.Act by J.T.R.I.Lucknow from 18.10.2023 to 20.10.2023, One Day Online Sensitization Programme on Disciplinary Proceedings for Judicial Officers J.T.R.I. U.P. Lucknow on 04.06.2023, Member of bench of National Lok Adalat dated 09.12.2023 constituted for disposal of matters relating to different Banks and BSNL for the public interest, Online Training Programme in compliance of the directions issued by the Hon'ble High Court, Allahabad vide order dated 22.02.2024 in the case of Rajeev Kumar Jaiswal Vs State of U.P. in Criminal Appeal No. 6026/2021 on 04.04.2024 में प्रतिभाग किया।

Actual target achieved में कुल 1343.95% Units रहा तथा Percentage 188.08%रहा। कुल 301 आरोप विरिचत किये गये। Number . Of cases decided (after actual full contested) 49 रहे। न्यायालय व कार्यालय के चारों त्रैमासिक निरीक्षण पूर्ण किये गये। कुल दो प्रारम्भिक जाँच तथा पत्रावली के पुनर्गठन का कार्य पूर्ण किया गया। इतना

किये जाने पर भी कभी किसी के द्वारा मेरी ड्राफटिंग में किसी प्रकार की कमी नहीं पायी गयी तथा मेरी जानकारी में वित्तीय वर्ष में मेरे द्वारा पारित सभी आदेश व निर्णय आज तक यथावत है। अतः इन परिस्थितियों में निर्णय/आदेश Writing capacity में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ द्वारा B अंकित कर दिया जाना न्यायोचित व तार्किक नहीं है। अतः इन्हीं आधारों पर माननीय न्यायालय से कालम नम्बर (1)(f)(iv)में की गयी प्रविष्टी Expunged किये जाने व दुरूस्त किये जाने की याचना की जा रही है।

माननीय न्यायालय द्वारा जब Unit System लागू किया गया तो यह स्वयं इसमें प्राविधानित किया गया कि प्रस्तावित यूनिट 1200 प्राप्त कर लेने पर प्रार्थी को Very Good (over all assessment) किया जायेगा। प्रश्नगत वित्तीय वर्ष में मेरे द्वारा कुल 1200 से अधिक कुल 1343.95 यूनिट प्राप्त की गयी तथा मय आशुलिपिक 120 प्रतिशत का मानक से ज्यादा 188.08 प्रतिशत (मानक) प्राप्त किया गया, परन्तु जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ के द्वारा मुझे मात्र Good की प्रविष्टी दी गयी है, जबकि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सम्भवतःVery Good की प्रविष्टी प्राप्त किये जाने का अधिकारी हूँ।

स्वयं जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ के द्वारा कालम संख्या 1(f)Whether judgment on facts and on Law are on the whole sound, well reasoned and expressed in good lagnuage में– Good and expressed in Hindi Language, कालम नम्बर 1(ei) में Relations with members of the Bar में Cordial अंकित किया गया है।

अन्य कालम में If he is cool minded and dose not lose temper in court में Yes, His private character is such as to lower him in the estimation of the public and adversely affects the discharge of his official duties में No complaint has been received, Proper fixation of cause list में Cases were properly fixed, Whether sufficient number of cases are fixed by him to keep him engaged during full court full court hours

में Yes, Avoidance of unnecessary adjournments में Officer had avoided unnecessary adjournments. Disposal of old cases (Give number and year of old cases decided )में S.T. 2002(1)2013(1)2015(1)S.S.T.2012(2)2015(3),2016(2), 2018(1),2019(3),2020(2),2021(13),2022(9)2023(7)S.S .T(OTH)2010(1),2014(1),2015(3)2016(5)2018(1),2019( 11),2020(6),2021(13),2022(15),2023 (15),2024(1) Crl. Appeal 2022(1), Crl. Revision 2023(1),Crl. Misc. 2023(2) Marshaling of facts मेंGood, Appreciation of evidence में Good, Application of law में Good, Whether disposal of work is adequate में Adequate Actual target achieved Units = 1343.95 Unit ,Number of cases decided after actual full contest में 49 cases, Number of cases decided all witnesses of fact turned hostile and the case ended in acquittal में NIL, Control over the Officer and Administrative capacity and tact में Good Relations with members of the Bar (mention incidents, if any) में Cordial, Behaviour in relation to sister brother Officers में Cordial, Whether the officer has made regular inspections of her/his court of offices in his charge and whether such inspections were full and effective में Yes. his punctuality and regularity sitting on the dais in court during court hours में Punctual, Whether amenable to the advice of the District Judge and other superior officers में Yes ,Behaviour towards women (respect and sensitivity exhibited towards them)में No complaint has been received ,State of Health, if any में Good Other remarks में NIL

लिखा है तब इन परिस्थितियों में मेरी Integrity, relation with Bar, व Execution से सम्बन्धित कालम्स में प्रतिकूल प्रविष्टी दिया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। प्रतीत होता है कि उपरोक्त् वर्णित प्रविष्टियां विद्वान जनपद न्यायाधीश बदायुँ द्वारा किसी व्यक्तिगत भ्रम व विचार जो कि मात्र सम्भवतः स्वयं उन्हीं के ज्ञान में हो सकते हैं, से प्रेरित होकर कर दी गयी हैं, जो कि तथ्यात्मक नहीं है तथा न्यायहित में व हर दशा में Expugned किये जाने योग्य हैं।

जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ द्वारा कालम संख्या 1(a) व 01(b)में प्रतिकूल प्रविष्टी दिये जाने का यह आधार लिया गया है कि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)द्वारा मेरे विरूद्व की गयी शिकायत माननीय न्यायालय,में विचाराधीन है। जनपद न्यायाधीश बदांयु द्वारा उपरोक्त वर्णित जमानत आदेश गीता देवी व अशरफ के सम्बन्ध में कथित रूप से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)द्वारा मौखिक रूप से शिकायत करने पर उनके द्वारा शिकायत माननीय न्यायालय में दिनांक 01.11.2023 को भेजा जाना मुझे मार्च, 2023 में ही पता चला, जबकि मुझसे जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ द्वारा आख्या आहूत की गयी इससे पूर्व दिनांक 01.11.2023 से मार्च, 2024 तक मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थीं कि जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ द्वारा मेरे सम्बन्ध में कोई शिकायत माननीय न्यायालय में प्रेषित की गयी है, यद्यपि कि उनके द्वारा मेरे न्यायालय से जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार वापिस लिये जाने का आदेश ही नवम्बर, 2023 में प्राप्त हुआ था। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में भी मुझे माननीय न्यायालय द्वारा जब मार्च 2024 में जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा इस सम्बन्ध में आख्या आहूत की गयी तभी पता चला, जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा मुझे इससे पूर्व यही कहा गया कि उनके द्वारा मेरे सम्बन्ध में कोई शिकायत कभी भी कहीं भी नहीं की गयी है, क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं हैं। मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित आख्या जनपद

न्यायाधीश महोदय बदायुँ की शिकायत के सम्बन्ध में 05 मार्च, 2024 तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री अतुल कुमार सिंह के कथित शिकायती प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में 06 मार्च, 2024 को माननीय न्यायालय को द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ द्वारा प्रेषित कर दी गयी थी। इसके उपरान्त मैं उसी समय जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ से नियमानुसार समय लेकर उनके विश्राम कक्ष में उपस्थित होकर उनसे इस सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित याचना की कि दोनो ही प्रकरणों में मेरे द्वारासत्यनिष्ठा से न्यायिक कार्य का निष्पादन किया गया है तथा दोनो ही प्रार्थनापत्र आधारहीन है। अतः इस सम्बन्ध में यदि सम्भव हो सके, तो सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें तब उनके द्वारा मुझे मौखिक रूप से यह कहा गया कि उनके द्वारा दोनो ही पत्रों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्रेषित की गयी आख्या माननीय न्यायालय को यथावत बिना कोई प्रतिकूल टिप्पणी के सन्दर्भित कर दी गयी हैं। आज तक उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मुझे कोई अन्य आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त नहीं है। अतः इस स्तर पर जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ द्वारा यह अवधारणा किया जाना भी कि मेरे सम्बन्ध में कोई प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं मात्र एक मिथ्या विचार हैं। अन्यथा की दशा में यदि कोई प्रकरण मात्र लम्बित है भी तो भी मैं अभी तक उस सम्बन्ध में दोषसिद्व नहीं हुआ हूँ तब मात्र किसी प्रकरण के लम्बित रहते हुये मेरे ए०सी०आर० में सत्यनिष्ठा व Relation with Bar में जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि कर दिया जाना विधि के सुस्थापित व स्वर्णिम प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ द्वारा आधारहीन रूप से मेरी प्रविष्टियों को प्रतिकूल किया जाना किसी भी मुल्जिम को बिना विचारण का अवसर प्रदान किये दोषसिद्व किया जाकर दण्डित कर दिये जाने के समान है। अतः उपरोक्त् वर्णित आधारों पर जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ द्वारा कालम संख्या 01(a),01(b)एवं 01(e)(iv) में दी गयी प्रविष्टियों को Expugned किया जाकर माननीय न्यायालय से दुरूस्त करवाये जाने की महान कृपा करें।

उल्लेखनीय है कि जनपद बदायुँ में दिनाँक 13.04.2021 से दिनांक 15.04.2024 तक विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत रहने तथा अत्याधिक न्यायिक कार्य निष्पादित किये जाते रहने के उपरान्त भी कभी भी किसी भी सम्मानित वादकारी अथवा विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किसी भी प्रकार की कहीं भी मेरी कोई शिकायत नहीं की गयी है।

मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी हमेशा की तरह न्यायिक अधिष्ठान जनपद न्यायालय बदायुँ में सुचारूप से कार्य किये जाने तथा उसके उत्तरोत्तर विकास के लिये लगातार प्रयत्न किया जाता रहा है तथा अपना कार्य व आचरण उसी प्रकार से रखा गया तथा इस संबध में न्यायिक प्रक्रिया को सफल रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में सभी प्रकार के कार्यों में अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिभाग किया है। इन तथ्य एवं परिस्थितियों में माननीय महोदय से सादर अनुरोध है कि विद्वान जनपद न्यायाधीश महोदय बदायुँ द्वारा की गयी उपरोक्त वर्णित प्रविष्टियों को Expunged करवाया जाकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये न्यायहित में दुरूस्त करवाये जाने की महान कृपा करें।

सादर

भवदीय

संलग्नक

प्रार्थी की आख्या दिनांकित 05.03.2024

व 06.03.2024 मय सभी संलग्नक

नवनीत कुमार भारती (एच०जे०एस०)

अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश

(पाक्सो एक्ट) ललितपुर।

25.06.2024

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, ललितपुर

पत्रांक 1085/XV दिनाँक 26.06.2024

अग्रसारित

26.06.2024

जनपद न्यायाधीश

ललितपुर

प्रेषक,

नवनीत कुमार भारती (एच० जे० एस०),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 10/
विशेष न्यायाधीश (एन० डी० पी० एस० एक्ट)बदायूँ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, बदायूँ।

विषयः– अर्द्धशासकीय पत्र सं० 01/प्र० लि०/ 2024 दिनांक 01.03.2024 के सम्बन्ध में आख्या।

माननीय महोदय,

सविनय निवेदन है कि माननीय महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 01.03.2024 से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र सं० CB391/2024 दिनांकित 01.03.2024 के सम्बन्ध में आख्या आहूत की गयी है जो कि सादर निम्नवत है–

इस न्यायालय में पत्रावली एस० सी० सं० 02/2023 राज्य बनाम इन्द्रपाल आदि, अंतर्गत धारा 8/18 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना वजीरगंज की पत्रावली विचाराधीन है। जिसमें अग्रिम तिथि दिनांक 07.03.2024 साक्ष्य हेतु नियत है।

उक्त पत्रावली में प्रार्थिनी / अभियुक्ता श्रीमती गीता देवी द्वारा पूर्व में दिनांक 16.11.2022 को एक जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त वाद में प्रार्थिनी को राजनैतिक प्रभाव में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी निर्दोष है। प्रार्थिनी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है और न ही जनता का कोई साक्षी है। थाना पुलिस द्वारा प्रार्थिनी व उसके पति इन्द्रपाल को पूछताछ के लिये थाने बुलाया गया था। प्रार्थिनी से कोई अफीम की बरामदगी नहीं हुई थी। थाना पुलिस द्वारा कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं कराया गया है। प्रार्थिनी पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थिनी दिनांक 04.11.2022 से जिला कारागार बदायूं में निरूद्ध है। प्रार्थिनी के दौरान वाद भागने अथवा गवाहान तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। अतः श्रीमान् जी प्रार्थना है कि प्रार्थिनी का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थिनी को वाद तादौरान जमानत पर रिहा करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। जिस पर तत्कालीन सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2022 को निरस्त कर दिया गया।

जिसके उपरांत दिनांक 07.06.2023 को प्रश्नगत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं० 2130/2023 प्रार्थिनी/ अभियुक्ता द्वारा नवीन व अतिरिक्त तथ्यों पर इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी /अभियुक्ता को उपरोक्त मामले में मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है। प्रार्थिनी /अभियुक्ता को गांव की राजनैतिक पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 05.04.2023 को निरस्त हो चुका है और जो बरामदगी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिखाई है, वह फर्जी है। जब प्रार्थिनी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ था, तब माननीय न्यायालय में प्रार्थिनी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया था। प्रार्थिनी के उक्त मामले में सहआरोपी इन्द्रपाल की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 08.05.2023

को स्वीकार हो चुकी है, जिसका जमानत आदेश पत्रावली में मौजूद है। प्रार्थिनी दिनांक 04.11.2022 से जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध है। प्रार्थिनी शुगर व हृदय गति की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है। प्रार्थिनी से जो बरामदगी थाना पुलिस ने दिखाई है, वह मिथ्या है। प्रार्थिनी एक घरेलू कामकाजी महिला है। प्रार्थिनी का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए जमानत देने को तैयार है। प्रार्थिनी के उपरोक्त मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और प्रार्थिनी पर जो थाना पुलिस ने जिस जगह बरामदगी दिखाई है, वहां चौराहा है और हर समय व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से लिखाई गयी है। प्रार्थिनी की जमानत से गवाहान व सबूतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उपरोक्त मामला पंजीकृत किये जाने का निश्चित समय अंकित नहीं है। प्रार्थिनी की जमानत से न्याय के हनन की कोई आशंका नहीं है। अतः श्रीमान् जी प्रार्थना है कि प्रार्थिनी का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थिनी को वाद तादौरान जमानत पर रिहा करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थिनी गीता पत्नी इन्द्रपाल के पैरोकार श्री राजेन्द्र पुत्र रक्षपाल की ओर से ब्यान हल्फी दिनांकित 07.06.2023 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मेरे उपरोक्त नाम पते पर अन्य कोई दूसरा व्यक्ति निवासी नहीं करता है। मैं अभियुक्ता गीता देवी का पैरोकार हूँ। अभियुक्ता गीता देवी की जमानत पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय इलहाबाद से निरस्त हो चुकी है। अभियुक्ता गीता देवी की जमानत हेतु अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। शपथ पत्र की मद सं० 1 ता 4 निजी ज्ञान में सत्य व सही है।

जिसके उपरांत मेरे द्वारा खुले न्यायालय में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सविस्तार सुना जाने व पत्रावली के गहन अवलोकन उपरांत आदेश मुख्यतः इस आशय का किया गया है कि पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। स्वयं अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी/ अभियुक्ता गीता की गिरफ्तारी एवं बरामदगी जिस जगह से दिखाई है, वह एक चौराहा है और वहां हर समय व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है। फिर भी अभियोजन की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी के नाम का अंकन नहीं किया गया है। प्रार्थिनी/ अभियुक्ता दिनांक 04.11.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थिनी/ अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रार्थिनी/ अभियुक्ता शुगर व हृदय गति की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है जिसका ऑपरेशन होना प्रस्तावित है। प्रार्थिनी/ अभियुक्ता एक महिला है। पत्रावली में आरोप विरचित हो चुके हैं तथा साक्ष्य में नियत है। सहअभियुक्त इन्द्रपाल की जामनत स्वीकृत हो चुकी है तथा वह जमानत पर रिहा है। प्रार्थिनी/ अभियुक्ता न्यायोचित जमानत संस्थित किये जाने को तैयार है। अतएव प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस मामले के गुण-दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थिनी/अभियुक्ता को उक्त अपराध में जमानत पर रिहा किये जाने के आधार न्यायहित में पर्याप्त है। प्रार्थना पत्र ससशर्त स्वीकार किया गया जो मुख्यतः इस प्रकार हैं कि-प्रार्थिनी /अभियुक्ता गीता पत्नी इन्द्रपाल द्वारा अंकन 50,000/-(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाये कि- प्रार्थिनी /अभियुक्ता विचारण में सहयोग करेगी, प्रार्थिनी /अभियुक्ता अभियोजन साक्षियों को डरायेगी, धमकायेगी नहीं।

प्रार्थिनी /अभियुक्ता न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत /जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगी। प्रार्थिनी /अभियुक्ता भविष्य में उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी। प्रार्थिनी /अभियुक्ता आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आयेगी तथा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी। अभियोजन साक्षीगण जब न्यायालय में उपस्थित आयेंगे तो उनसे जिरह करने हेतु प्रार्थिनी /अभियुक्ता कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी।

यह कि दिनांक 08.05.2023 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी गीता देवी के सह अभियुक्त इन्द्रपाल जो कि प्रार्थिनी का पति है एवं प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य अभियुक्त है, का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। फलस्वरूप इन्द्रपाल जमानत पर रिहा हुए। मुख्य अभियुक्त इन्द्रपाल को न्यायालय सं० 86, Criminal Misc. Bail Application No. 13916 of 2023 इन्द्रपाल बनाम स्टेट ऑफ यू० पी० में जमानत दी जा चुकी थी तथा मुख्य अभियुक्त इन्द्रपाल के जमानत आदेश की सत्यापित प्रति पत्रावली पर संलग्न है। उनसे जिरह करने हेतु प्रार्थिनी /अभियुक्ता कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाने की दशा में नये तथ्यों एवं आधारों पर संस्थित द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय रहता है तथा विधिनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायहित में निस्तारित किया जाता है।

प्रार्थिनी/ अभियुक्ता श्रीमती गीता देवी के द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कहीं भी इस आशय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है बल्कि उसके पैरोकार श्री राजेन्द्र पुत्र रक्षपाल निवासी गिरधरपुर, थाना सिरौली, जिला बरेली की ओर से प्रस्तुत ब्यान हल्फी में यह कथन किया गया है कि अभियुक्ता गीता देवी की जमानत हेतु अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। कोई अन्य विचाराधीन जमानत प्रार्थना पत्र न तो पत्रावली में संलग्न है एवं ना ही इस सम्बन्ध में पूरी पत्रावली पर किसी भी स्थान पर कोई पंक्ति अंकित है कि प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र जो कि इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया, के अतिरिक्त जमानत प्रार्थना पत्र संस्थित करने की तिथि अथवा आदेश पारित किये जाने तक कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। किसी भी जमानत प्रार्थना पत्र पर दौरान सुनवाई हर बार मेरे द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन० डी० पी० एस० एक्ट), श्री अतुल कुमार सिंह से लिखित में आख्या आहूत की जाती है जिनके द्वारा सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र दिनांकित 07.06.2023 के मुख्य पृष्ठ पर अपने हस्तलेख में इन्द्राज किया गया है कि Sir, Opposed and Copy received. इसके अलावा कहीं पर यह अंकित नहीं किया गया है कि इसी आशय की अन्य जमानत किसी अन्य माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, ना ही दौरान बहस विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन० डी० पी० एस० एक्ट), श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा ऐसा कोई कथन किया गया कि इसी आशय का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। ना ही प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से ऐसा कोई कथन किया गया कि इसी आशय का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थिनी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र 30.11.2022 दौरान विवेचना निरस्त किया गया था एवं न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरूद्ध अपराध ) द्वारा दिनांक

02.01.2023 को आरोप पत्र में प्रसंज्ञान लिया गया। मैंने सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र पर खुले न्यायालय में सविस्तार सुनवाई किया जाकर सम्पूर्ण पत्रावली का गहन परिशीलन किये जाने के उपरांत गुण दोष के आधार पर एक स्पीकिंग आदेश द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित नये तथ्यों के आधार पर इस बात को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी शुगर व हृदय गति की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है जिसका ऑपरेशन होना प्रस्तावित है। प्रार्थिनी एक वृद्ध महिला है तथा पूर्व में निस्तारित किये गये प्रार्थना पत्र के खारिज किये जाने के उपरांत एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका था एवं प्रार्थिनी लम्बे समय से जिला कारागार में निरूद्ध थी। द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अपने उत्तम विवेक से न्यायहित में मेरे द्वारा स्वीकार किया जाकर निर्णीत किया गया है जो कि एक न्यायिक आदेश है।

इस न्यायालय में पत्रावली एस० सी० सं० 10/2023 राज्य बनाम असरफ अंशारी, अंतर्गत धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना वजीरगंज की पत्रावली विचाराधीन है। जिसमें अग्रिम तिथि दिनांक 05.03.2024 साक्ष्य हेतु है। उक्त पत्रावली में अभियुक्त अशरफ अंसारी द्वारा पूर्व में दिनांक 18.11.2022 को एक जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 10.11.2022 को ग्राम सुरसैना से आगे मन्दिर के समाने आंवला सुरसैना मार्ग पर वाहन चैकिंग के दौरान प्रातः लगभग 11:30 बजे पकड़ना बताया गया है एवं उसे मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन सं० UP24J0143 प्लेटिना रंग काला से आंवला की तरफ से आना बताया है एवं इसी मोटरसाइकिल की थैलेनुमा डिग्गी से प्लास्टिक की पिन्नी से (स्मैक) बरामद करना बताया गया है। इसी फर्द बरामदगी E चालान से 307 एम०वी० एक्ट में मोटरसाइकिल नं० UP24J0143 को सीज करना लिखा है। जबकि इस चालान का समय 13:29:49 लिखा जो प्रार्थी को तथाकथित पकड़े जाने के दो घण्टे बाद का है एवं स्थान में राजकुमार सिंह, चौहान विला वजीरगंज उत्तर प्रदेश लिखा है। यह स्थान थाने से लगभग 20 मीटर की दूरी पर है एवं फर्द बरामदगी के अनुसार प्रार्थी को पकड़े जाने वाले स्थान से 07 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। यदि मोटरसाइकिल प्रार्थी से मिली है तो चालान का समय भी वहीं होना चाहिए था जो प्रार्थी के पकड़े जाने का था। जबकि दोनों घटनाये अलग – अलग है एवं प्रार्थी की झूठी नामजदगी करने के उद्देश्य से दोनों घटनाओं को जोड़ दिया है। फर्द बरामदगी में स्मैक की बरामदगी मोटरसाइकिल की डिग्गी से दिखाई गयी है जबकि मोटरसाइकिल के चालान का समय 13:29:49 अर्थात प्रार्थी को तथाकथित पकड़ने के दो घण्टे बाद का है। प्रार्थी को जिस स्थान से पकड़ना बताया है। उस स्थान से 07 कि० मी० से अधिक की दूरी पर मोटरसाइकिल का चालान हुआ है। जिस समय प्रार्थी को पकड़ा गया तो उस समय जब प्रार्थी के पास मोटरसाइकिल थी ही नहीं तो मोटरसाइकिल से बरामद होने वाली स्मैक को प्रार्थी से बरामद होना कैसे दिखा दिया गया। इसी से साबित होता है कि पुलिस ने प्रार्थी से झूठी बरामदगी दिखाई है जो प्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से की गयी है। फर्द बरामदगी में राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी की बात करने के बाद क्षेत्राधिकारी बिसौली को बुलाकर तलाशी की प्रक्रिया को करना बताया गया है एवं जनता के गवाहान न मिलने की बात लिखी गयी है। इस प्रकार सारी बरामदगी में पुलिस पार्टी ही रही है। राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी एवं जनता के गवाहान की उपस्थिति में तलाशी को बरामदगी में इसलिये महत्वपूर्ण माना गया है , जिससे बरामदगी की प्रक्रिया संदिग्धता की सम्भावनाओं से दूर जाकर विश्वसनीयता की ओर बढ़ सके, परन्तु यहां पर पूरी बरामदगी की प्रक्रिया में पुलिस पार्टी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। पुलिस का यह आचरण ही घटना को पूरी तरह संदिग्ध बनाता

देता है। प्रार्थी मोटरसाइकिल का मालिक नहीं है एवं मोटर साइकिल मालक मोहल्ला दातांगज का रहने वाला है। जबकि प्रार्थी ग्राम कान्हा नगला थाना बिनावर का निवासी है। प्रार्थी का इस मोटरसाइकिल से सम्बन्ध ही नहीं है। वर्तमान प्रकरण धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट आकर्षित नहीं होती है। एन० डी० पी० एस० एक्ट की धारा 2 (VIIa) एवं धारा 2(XXIIIa) के अन्तर्गत अल्पमात्रा एवं वाणिज्यिक मात्रा के शासनादेश की सूची में दिये गये कुल 239 क्रम सं० में स्मैक का नाम भी नहीं है। ऐसे में अल्प मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण कैसे हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि जो पदार्थ सूची में नहीं है , उस नाम के पदार्थ की बरामदगी पुलिस पार्टी द्वारा किस आधार पर दिखाई जा सकती है। इन समस्त आधारों से यह पूर्णतया साबित होता है कि पुलिस ने फर्जी एवं बनावटी बरामदगी दिखायी है। प्रार्थी पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी दिनांक 10.11.2022 से जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध है। प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दिये जाने के उपरानत नियत तिथि पर हाजिर अदालत आता रहेगा। जिस पर तत्कालीन सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2022 को निरस्त कर दिया गया।

जिसके उपरांत दिनांक 07.10.2023 को प्रश्नगत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं० 3410/2023 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/ अभियुक्त निर्दोष है। विधि का सुस्थापित नियम है कि यदि दो सम्भावनायें हो और दोनों सम्भावनायें परस्पर विरोधाभासी होते हुये घटना को संदिग्धता के घेरे में लाती हों तो किसी भी स्थिति में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। वर्तमान प्रकरण में वादी की फर्द के आधार पर मुकदमा थाना वजीरगंज में पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने का समय 13:29 पी० एम० है एवं मोटरसाइकिल सं० UP24J0143 प्लेटिना रंग काला का चालान 01:29:49 पी० एम० पर घटना स्थल से सात किलोमीटर दूर थाना वजीरगंज से लगभग 20 मीटर की दूरी पर राजकुमार सिंह बिला वजीरगंज है। इस प्रकार से दो अलग घटनायें हैं। पहली सात किलोमीटर दूरी पर सुरसेना मन्दिर के पास दूसरी मोटरसाइकिल चालान की थाने से 20 मीटर दूरी पर जो स्टेट हाइवे है। जबकि फर्द बरामदगी में मोटरसाइकिल चालान सुरसेना मन्दिर के पास होना लिखा है। यदि मोटरसाइकिल का चालान फर्द बरामदगी में लिख दिया और फर्द बरामदगी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गयी तो फिर मोटरसाइकिल का चालान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाने के पास ही कैसे हुआ। इसी मोटरसाइकिल से स्मैक की बरामदगी दिखायी गयी है। अभियुक्त के शरीर या कपड़ों से कोई बरामदगी नहीं हुई है। बरामदगी का जो भी जिक्र है वह मोटर साइकिल की डिक्की से है। अभियुक्त मोटर साइकिल का मालिक भी नहीं है। जब यह बात जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के समय माननीय न्यायालय के समक्ष आई और माननीय न्यायालय द्वारा वादी विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी, निरीक्षक यातायात से लिखित स्पष्टीकरण मांगा तो एक दूसरा चालान तीसरे स्थान गुठीला का 12:55:49 का माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रकरण की प्रक्रिया बिना स्वतंत्र साक्ष्य के केवल पुलिस पार्टी के द्वारा की जाती है। कोई जनता का गवाह साथ में नहीं होता है। इसलिए जब वादी द्वारा एक ही मोटरसाइकिल के दो अलग-अलग चालान प्रस्तुत किये गये हैं और वह दोनों चालान घटनास्थल के अतिरिक्त स्थान पर दर्शित हो रहे हैं। जिसमें एक स्थान सात किलोमीटर की दूरी दूसरा स्थाना 03:28 दूरी का है। घटनास्थल से सम्बन्धित मोटरसाइकिल का चालान का कोई कागज ना हो तो पुलिस कार्यवाही पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। एक ही मोटरसाइकिल का दो बार चालान कैसे हो

सकता है। जब घटनास्थल पर मोटरसाइकिल के चालान का कोई प्रपत्र नहीं है तो फर्द बरामदगी में जो घटनास्थल पर लिखनी बतायी गयी है में मोटरसाइकिल का चालान पंजीकृत कैसे है। विवेचक द्वारा वाद की कार्यवाही साबित करने के उद्देश्य से सारी कार्यवाही की गयी है। यदि विवेचक निष्पक्ष विवेचना की ओर अग्रसर होते तो मोटरसाइकिल के स्वामी के ब्यान जरूर करते। क्योंकि बरामदगी मोटरसाइकिल से हुई है न कि प्रार्थी से। विवेचक ने घटना स्थल से आसपास के किसी व्यक्ति के ब्यान दर्ज करने का प्रयास नहीं किया है और न ही किसी स्वतंत्र गवाह के ब्यान दर्ज किये हैं। पूरी विवेचना में केवल पुलिस पार्टी के ही ब्यान दर्ज हुये हैं। अन्य कोई साक्ष्य विवेचक द्वारा एकत्रित नहीं किया है। निरीक्षक यातायात द्वारा माननीय न्यायालय में भेजी गयी स्पष्ट आख्या में लिखा है कि ई-चालान अपलोड होने के पश्चात कोई बदलाव सम्भव नहीं है। किसी कारणवश ई-चालान में कोई त्रुटि यातायात निदेशालय उ० प्र० लखनऊ के माध्यम से एन० आई० सी० द्वारा ई-चालान में बदलाव सम्भव है। इसी से स्पष्ट होता है कि चालान प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने के बाद हुआ है। यह बात पकड़ में आ जाने पर वादी / विवेचक ने लखनऊ से दूसरा चालान बनवा लिया लेकिन गलत करने पर कोई न कोई चूक हो ही जाती है। इसी कारण दूसरे चालान में भी घटना का स्थान घटनास्थल से 3.28 किलोमीटर की दूरी पर हो गया है, ऐसे में ई-चालान घटनास्थल से कैसे माना जा सकता है। फर्द बरामदगी में राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी की बात करने के बाद क्षेत्राधिकीर बिसौली को बुलाकर तलाशी की प्रक्रिया को करना बताया गया है एवं जनता के गवाहान न मिलने की बात लिखी गयी है। इस प्रकार सारी बरामदगी में पुलिस पार्टी ही रही है। राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी एवं जनता के गवाहान की उपस्थिति में तलाशी को बरामदगी में इसलिए महत्वूर्ण माना गया है जिससे बरामदगी की प्रक्रिया संदिग्धता की सम्भावनाओं से दूर जाकर विश्वसनीयता की ओर बढ़ सके, परन्तु यहां पर पूरी बरामदगी की प्रक्रिया में पुलिस पार्टी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। पुलिस का यह आचरण ही घटना को पूरी तरह संदिग्ध बना देता है। एन० डी० पी० एस० एक्ट की धारा 2(VIIa) एवं धारा 2(XX IIIa) के अन्तर्गत अल्प मात्रा एवं वाणिज्यिक मात्रा के शासनादेश की सूची में दिये गये कुल 239 क्रम सं० में स्मैक का नाम भी नहीं है, ऐसे में अल्प मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण कैसे हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि जो पदार्थ सूची में नहीं है उस नाम के पदार्थ की बरामदगी पुलिस पार्टी द्वारा किस आधार पर दिखाई जा सकती है, इन समस्त आधारों से यह पूर्णतयाः साबित होता है कि पुलिस ने फर्जी एवं बनावटी बरामदगी दिखाई है। प्रार्थी / अभियुक्त पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा जमानत दिये जाने के उपरान्त नियत तिथि पर हाजिर अदालत आता रहेगा। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मेरे उपरोक्त नाम पते पर अन्य कोई दूसरा व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रार्थी के पुत्र का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2022 को माननीय न्यायालय से निरस्त किया गया। प्रार्थी के पुत्र पर अभी आरोप तय नहीं हुआ है एवं प्रार्थी के पुत्र द्वारा अपना द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। शपथकर्ता मुकदमा व हालता से बखूबी वाकिफ एवं मुकदमे में पैरोकार है एवं अभियुक्त अशरफ का सगा पिता है। शपथकर्ता का पुत्र अभियुक्त अशरफ दिनांक 10.11.2022 से जिला कारागार बदायूँ में निरूद्ध है। शपथपत्र की मद सं० 1 ता 4 मेरे निजी ज्ञान में सत्य व सही है।

जिसके उपरांत मेरे द्वारा पत्रावली के अवलोकन उपरांत आदेश दिनांकित 12.10.2023 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास बताया गया है, परन्तु उक्त अभियोग में अभियुक्त की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना संस्थित किया गया था जिसे संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 12.12.2022 को निस्तारित किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत विवेचक द्वारा इस न्यायालय में आरोप पत्र संस्थित किया गया जिस पर सुनवाई किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया है। अतः इस स्तर पर विवेचना पूर्ण हो चुकी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के स्वीकार किये जाने की स्थिति में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्यों से छेड़छाड़ किये जाने की सम्भावना समाप्त हो चुकी है। अभियुक्त दिनांक 10.11.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र के खारिज होने की तिथि के उपरांत भी प्रार्थी / अभियुक्त को जेल में एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका है। इस स्तर पर प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित होने के उपरांत उपरोक्त वर्णित नवीन आधार प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में उत्पन्न होते प्रतीत हो रहे हैं। अतएव प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस मामले के गुण-दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध में निम्न शर्तों के अनुसार जमानत पर रिहा किये जाने के आधार न्यायहित में पर्याप्त है। प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया गया जो कि मुख्यतः इस प्रकार है कि- प्रार्थी /अभियुक्त असरफ अंसारी पुत्र अफसर अंसारी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -3410/2023, मु०अ०सं०-407/2022, धारा- 8/21 एन० डी० पी० एस० एक्ट, थाना- वजीरगंज, जिला- बदायूँ स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/-(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाये कि- प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा, प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। प्रार्थी /अभियुक्त आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आयेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा। अभियोजन साक्षीगण जब न्यायालय में उपस्थित आयेंगे तो उनसे जिरह करने हेतु प्रार्थी/अभियुक्त कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाने की दशा में नये तथ्यों एवं आधारों पर संस्थित द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय रहता है तथा विधिनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायहित में निस्तारित किया जाता है।

अभियुक्त असरफ अंशारी द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कहीं भी इस आशय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है बल्कि शपथ पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी के पुत्र का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2022 को माननीय न्यायालय निरस्त किया गया। प्रार्थी के पुत्र पर अभी आरोप तय नहीं हुआ

है एवं प्रार्थी के पुत्र द्वारा अपना द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

कोई अन्य विचाराधीन जमानत प्रार्थना पत्र न तो पत्रावली में संलग्न है एवं ना ही इस सम्बन्ध में पूरी पत्रावली पर किसी भी स्थान पर कोई पंक्ति अंकित है कि प्रश्नगत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त जमानत प्रार्थना पत्र संस्थित करने की तिथि अथवा आदेश पारित किये जाने की तिथि तक कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में तत्समय विचाराधीन है। जमानत प्रार्थना पत्र पर दौरान सुनवाई मेरे द्वारा हमेशा ही विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन० डी० पी० एस० एक्ट), श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा लिखित में आख्या आहूत की जाती है। उनके द्वारा सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र पर कहीं पर यह अंकित नहीं किया गया है कि इसी आशय की अन्य जमानत किसी अन्य माननीय न्यायालय में विचाराधीन है ना ही दौरान बहस उनके द्वारा ऐसा कोई कथन किया गया कि इसी आशय का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। ना ही प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से ऐसा कोई कथन किया गया कि इसी आशय का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र 12.12.2022 को निरस्त हुआ था एवं न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) द्वारा दिनांक 06.01.2023 को आरोप पत्र में प्रसंज्ञान लिया गया। अतः प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संस्थित किये जाने की दिनांक एवं आदेश पारित किये जाने की दिनांक तक आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान नहीं लिया गया था। मैंने सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्र पर खुले न्यायालय में सविस्तार सुनवाई किया जाकर सम्पूर्ण पत्रावली का गहन परिशीलन किये जाने के उपरांत गुण दोष के आधार पर एक स्पीकिंग आदेश द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित नये तथ्यों के आधार पर इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि पूर्व में खारिज किये गये प्रार्थना पत्र के खारिज किये जाने के उपरांत एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका था एवं प्रार्थी लम्बे समय से जिला कारागार में निरूद्ध था। द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करने हुए अपने उत्तम विवेक से न्यायहित में स्वीकार किया गया।

महोदय, प्रस्तुत आख्या के साथ अभियुक्ता गीता देवी द्वारा संस्थित प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र एवं द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियां संस्थित की जा रही है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी गीता देवी द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र के दिनांक 30.11.2022 को खारिज करने के उपरांत ~~दिनांकित~~ द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांकित–07.10.2023 में नवीन तथ्य एवं आधार लिये गये थे। द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न ब्यान हल्फी की छायाप्रति इस आख्या के साथ माननीय महोदय के परिशीलन हेतु संलग्न की जा रही है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी गीता देवी द्वारा अपने समर्थित ब्यान हल्फी में यह अंकित किया गया है कि इस न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्त वर्णित दोनों ही बेल ओदश आज तक यथावत है तथा किसी भी माननीय न्यायालय से ना खारिज किये गये हैं, न बदले गये हैं। उपरोक्त वर्णित दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन० डी० पी० एस० एक्ट), श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा इस प्रकार की कोई आपत्ति अंकित नहीं की गयी है कि इसी सम्बन्ध में कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसा कोई कथन किसी भी पक्षकार द्वारा अथवा पत्रावली

पर उपरोक्त वर्णित जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई किये जाते समय मेरे समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त वर्णित दोनों आदेश इस न्यायालय के विषय वस्तु क्षेत्राधिकार के भीतर थे। प्रश्नगत आदेश न्यायिक आदेश हैं जो कि मेरे द्वारा विधिक तौर पर न्यायहित में मानवता व सद्भावना पूर्वक पारित किये गये हैं और यदि कोई भी पक्षकार उपरोक्त वर्णित आदेशों से विधिक तौर पर क्षुब्ध है तो सक्षम न्यायालयों में रिवीजन तथा अपील के माध्यम से न्यायिक आदेश होने के कारण इन आदेशों के विरूद्ध न्यायिक रेमेडी उपलब्ध है।

अभियुक्त असरफ अंसारी का पूर्व में खारिज जमानत प्रार्थना पत्र तथा द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र जो कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2023 को स्वीकार किया गया मय शपथ पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत आख्या के साथ इस आशय से संस्थित की जा रही है कि उपरोक्त वर्णित असरफ अली द्वारा द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र से भिन्न तथा नवीन आधार लिये गये थे। असरफ अली द्वारा अपने पूरे जमानत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में यह अंकित नहीं किया गया है कि किसी अन्य न्यायालय में इस आशय का कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। ना ही दौरान बहस विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस० एक्ट) श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा इस आशय का कोई कथन किया गया कि कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में इसी आशय का विचाराधीन है।

मैं वर्ष 2006 उ० प्र० न्यायिक सेवा का अधिकारी हूँ तथा आज तक अपना न्यायिक कार्य सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से करता आया हूँ तथा भविष्य में भी किये जाने के लिये तत्पर हूँ।

इन तथ्य एवं परिस्थितियों में माननीय महोदय के आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा प्रस्तुत आख्या माननीय महोदय के सहानुभूतिपूर्वक विचारण हेतु सादर प्रेषित है।

दिनांकः 05.03.2024

(नवनीत कुमार भारती)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-10/ विशेष न्यायाधीश
(एन० डी० पी० एस० एक्ट) बदायूँ।

6/3/24

Section 439 — Note 2 (contd.)

(4) Constitution of Special Tribunal to try offences under Defence and Internal Security of India Act (1971) and Rules thereunder does not affect the power of High Court to grant bail. **1976 Cri LJ 386 (391) (FB) (Him Pra).**

(5) If the detention of the petitioners is illegal, an application for writ in the nature of habeas corpus and not an application for bail under S. 439 of the Code will lie. 1981 BLJR 20 : 1980 Cri LJ (NOC) 170. (1978 Cri LJ 1074 (Pat), **Held not good law.**) ** 1994 (2) BLJ 713 (713) : 1995 (1) East Cri C 436 (Pat).

(6) The principle while granting bail is that the Court cannot go into the details of evidence to see whether such evidence is sufficient to prove the guilt of the accused resulting in the conviction. 1981 Chand Cri C 116 (119) (P & H).

(7) The use of the term 'or' in S. 397 could be safely used as a clue to interpret the word 'or' in S. 438 or 439. 1980 MPLJ 373 (375).

(8) The jurisdiction of the High Court under the Section is not merely revisional but concurrent with that of the subordinate Magistrate trying the case. **AIR 1952 Madh B 180 (190) : 1953 Cri LJ 12 (FB)** ** AIR 1955 NUC (Sau) 5047 ** (1909) 9 Cri LJ 409 (410) (Cal).

(9) Granting of bail being a matter of judicial discretion vested in the Court, no Court is bound by the decision of another Court and the possibility of different conclusions being reached by different Courts on the same facts in the same circumstances cannot be ruled out, as the principle analogous to 'res judicata' is not applicable to bail applications. 1984 Guj LH 1162 (1163) : 1985 (1) 26 Guj LR 127 ** 1999 (2) Pat LJR 35 (44) : 1999 (2) BLJ 793 (DB) ** 1997 AIHC 1051 : 1996 (20) All Cri R 867.

(10) Once Court of co-ordinate jurisdiction, rightly or wrongly, granted bail to the accused, successor Judge had no business to make comments on said order and conduct and refuse to pass necessary orders on the bail bonds furnished before him forcing the petitioners to approach High Court in the present petition and, meanwhile to remain in custody for certain period. 2003 (1) Pat LJR 740 (743) : 2003 (4) All Ind Cas 751 (DB).

(11) Granting of bail being procedural law the law prevalent at the time of the application for bail is to be considered irrespective of when the occurrence took place. (1983) 2 Rec Cri R 120 (122) : 1984 All Cri LR 8 (P & H).

(12) Where a person is in illegal detention, he can only invoke the power of High Court under Art. 226 of the Constitution for issuance of a writ in the nature of habeas corpus but he cannot be released on an application under S. 439 of Cr.P.C. when such an application filed by the applicant has already been dismissed by the High Court on merits. 1987 Pat LJR (HC) 337 (341).

(13) In a case under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, where the arrest and detention of accused was found to be illegal because of non-compliance of provisions of Ss. 50, 52 and 57 of the Act, the application by accused under S. 439 of Cr.P.C. was treated as application under S. 482, Cr.P.C. and the arrest and detention of the accused was set aside. 1993 Cri LJ 260 (270) (Orissa).

(14) The general policy of law is to allow bail rather than refuse it and the bail should not be withheld as a measure of punishment or for the purpose of putting obstacles in the way of defence. 1976 Chand LR (Cri) 213 (217) (Punj).

(15) Unless the accused surrenders and is in custody within the meaning of S. 439, Cr.P.C. and unless he follows R. 18 of Allahabad High Court Rules which means that he moved the Sessions Court and obtained an order of rejection, his bail application cannot be considered. 1983 All LJ 1286: 1983 All Cri C 394 ** 1993 Cri LJ 3817 (3819) : (1993) 6 OCR 566 (Orissa).

[**See also** 1992 Cri LJ 3105 (Orissa).]

(16) Bail can be granted only to such accused who are under restraint by arrest. Basic condition for granting bail is that the accused must be under restraint. 1981 Cri LJ 1057 (Orissa). (Where accused was neither in the physical control of the police nor did he was put in physical presence in Court. jurisdiction under S. 439, Cr.P.C. could not be invoked.) ** 1994 (3) All Cri LR 688 (692) : 1994 (3) RCC Cri R 445 (P&H).

(17) The word 'Custody' used in S. 439, Cr.P.C. should be given a restrictive interpretation to include only the custody which is legal under a valid warrant of remand issued legally by competent authority. If the custody of the accused is not according to law, they should be set at liberty. 1983 Raj Cri C 338 ** 2008 (5) Gauhati LR 382 (391) ** 1998 (1) Andh LD 103 (112) : 1997 (1) APLJ (Cri) 527 ** 1995 (2) Pat LJR 164 (167) : 1995 (2) East Cri C 675 (DB).

(18) Bail — Procedure — Law prevalent at the time of application for bail is to be considered irrespective of fact when occurrence took place — Thus, S. 439A as inserted by Punjab Ordinance 3 of 1983 which came into force before filing of bail application would apply though occurrence took place earlier. 1983 All Cri LR 671 : (1983) 2 Rec Cri R 406 (P & H).

(19) Where an offence is exclusively triable by Sessions Court, accused can be released on bail provided the case is committed to the Sessions Court by the Magistrate. 1988 Cri LJ 297 : (1986) 90 Pun LR 275.

(20) Court has power to grant bail under S. 439 to the accused who was absconding but had surrendered

Section 439 — Note 2 (contd.)

ever, the court of Sessions should refrain from interfering in the matter when High Court was in seizin of the matter. 1987 Cri LJ 1238 : (1987) 1 Cur LJ (Civ and Cri) 64 (P & H) ** (1991) 28 All Cri C 83 (86). (Judicial propriety and decorum require that the Sessions Judge should not proceed to consider the bail application of an accused on merits if he has already applied for bail before the High Court.)

[See also 1984 All LJ 283 (286) : 1983 All Cri R 434.]

[See however (1991) 28 All Cri C 83 (86). (It will not be proper to say that if the bail application of an accused is pending before the High Court the Sessions Judge has no jurisdiction to grant bail, as even after rejection of a bail by the High Court, the Court of Session may entertain the bail application provided new substantial grounds for bail have arisen since the last order of rejection and reasonably long interval has also elapsed.) ** 1995 (2) Cur Cri R 467 (469) : 1995 (32) All Cri C 159.

(98) According to this section the Magistrate does not enjoy exclusive powers to grant bail. The power of High Court and Court of Session is concurrent with that of the Magistrate. It cannot be said that when a case is pending before a Magistrate then High Court and Sessions Court would have no jurisdiction to entertain and decide an application for bail. 1979 Cri LJ 1485 : 1980 MPLJ 100 (DB).

[But see 2004 Cal Cri LR 705 (714) : 2004 (2) Cal LJ 413 (DB).]

(99) The mere fact that there was direction that accused had to first appear before the Magistrate and after the rejection of bail, the Additional Sessions Judge was required to consider the application on the same day, it would not imply that custody under the order of Magistrate and rejection of bail application by him only could give jurisdiction to the Sessions Judge and the Sessions Judge in no circumstance could hear the bail application without there being proceeding of the bail application through the Court of Magistrate. 1992 (2) Cur Cri R 1564 (1565) : 1992 UP Cri R 309 (All).

(100) This section does not give power to the Sessions Judge, when he is satisfied that it is a fit case to grant bail, to put off the release of the accused by any period. If the Court thinks that it is a fit case for grant of bail, it has to order release immediately and any further detention is illegal. 1964 (2) Cri LJ 98 (Manipur).

(101) High Court can grant bail to MISA detenu during his period of parole. (1976) 2 Andh WR 276 : 1977 Cri LJ (NOC) 65.

(102) A distinction has to be made between an order granting bail and an order directing execution of a bond — Execution of fresh bail bonds if ordered in post commitment stage does not mean that the order granting bail is cancelled. ILR (1977) 1 Cal 495.

(103) Where accused has reasonable apprehension of grave danger to his life and seeks transfer of criminal case from one court to another, his bail application could be disposed off by the transferee criminal court, where he wants to surrender. 1990 Cri LJ 400 : 1989 All Cri C 558.

(104) Where a case has been made over by the Sessions Judge for trial to the Court of Addl. Sessions Judge on the ground of his non availability, the Sessions Judge ceases to exercise jurisdiction over interlocutory applications including bail application filed in Sessions Trial and any subsequent bail application filed after the case has been made over, shall be disposed of by the Addl. Sessions Judge and not by the Judge who rejected the earlier bail application before the transfer of case. 1992 Cri LJ 711 (713) (MP) (DB).

(105) Accused a practicing lady advocate was granted bail in two cases and also granted anticipatory bail, High Court while granting bail to ensure the liberty granted is not misused, imposed stringent conditions and terms. 1986 All App Cas (Cri) 151 (152) : 1986 All Cri R 562.

(106) When the person who is accused of having committed an offence under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act is specifically barred from having the benefit of anticipatory bail under S. 438 Cr.P.C. by virtue of an express provision contained in S. 18 of the Act, makes an application for anticipatory bail which if the court is not inclined to grant the same, such an accused person surrendered to the custody of the court simultaneously by way of an alternative remedy can invoke the provisions contained in S. 439 to get himself released on regular ordinary bail. (1992) 2 Guj LH 492 (498) ** 2001 Cri LJ 237 (238) : 2001 (1) AIR Kant HCR 63. (The Sessions Judge who exercises their general powers of bail under S. 439, Cr.P.C. have jurisdiction to dispose of an application for bail where offences punishable under the SC/ST Act of 1989 along with other offences are alleged.)

(107) Notwithstanding the fact that an order under S. 18 of the Rajasthan Children Act, 1970 or under S. 38 of the Juvenile Act made by the Appellate Court is subject to revision by the High Court, the provisions of S. 439 will still be attracted. 1988 Cri LR (Raj) 39 (41) : 1988 Raj LW 104.

(108) Regular bail under shelter of interim bail order — Grant of — Permissibility — Pendency of petition under Section 438, Cr.P.C. before High Court for grant of anticipatory bail — Grant of ad interim anticipatory bail by High Court — Accused taking advantage of ad interim anticipatory bail order cannot make an application for grant of regular bail under S. 439, Cr.P.C. without permission of High Court. 2002 Cri LJ 1660 (1666) : 2001 Cri LJ (Chh).

Section 439 — Note 7 (contd.)

be having in his mind in filing the petition. Ordinarily, the aggrieved party who is affected by any order, has the right to question the legality, validity or otherwise correctness of an order. 1996 Raj Cri C 286 (292) : 1996 (2) WLC 433 (DB).

(4) If a petition has to be filed during the trial of a sessions case for cancellation of bail it is only the public prosecutor who is entitled to file such a petition, and not a defacto complainant. 1991 (2) APLJ 280 (281) : 1992 (1) Cur Cri R 656.

(5) Cancellation of bail — Petition for — Moved by Advocates who have nothing to do with said case — Refusal to entertain petition on grounds that it is not maintainable — Improper. **AIR 2000 SC 1851 (1852) : 2000 AIR SCW 423** ** 2006 (35) OCR 358 (360) : 2006 (3) Orissa LR 581.

(6) Cancellation of bail — Application for — Can be filed by Public Prosecutor only — Complainant or relations or interested persons of deceased victim have no locus standi to file such application. 1998 Cri LJ 277 : 1997 (2) APLJ 364.

[**But see** 1995 (1) Crimes 863 (866) : 1994 (2) Cal LT 335 (DB). (A defacto complainant enjoys a right to prefer an application for cancellation of bail.)]

(7) Provisions of Section 439 of Cr. P. C. is not available to a juvenile while moving an application for bail before the Sessions Judge or before the High Court. 1994 (2) BLJ 497 (498) : 1994 (2) East Cri C 584 (Pat) ** 2007 (2) Pat LJR 752 (752).

(8) Power vested in Court under S. 439(2), Cr. P. C. can be invoked by State or inevstigating agency or public prosecutor or any aggrieved party. 2008 (63) All Cri C 212 (216).

**8. Magistrate — Meaning of.**

(1) The expression "Court of Session" occurring in S. 439 means the "Court of Session" presided over by the Sessions Judge. 1987 Cri LJ 411 (421) : 1986 Raj LW 667.

(2) The word "Magistrate" under S. 439(1)(g) of Cr. P.C. should be read as including a special court constituted under S. 36 of the N. D. P. S. Act, 1985. 1990 Mad LJ (Cri) 654 (664, 665) (DB).

**9. Successive bail applications**

See also S. 437, N. 16.

(1) Successive bail applications by accused are not barred, as there is nothing like a principle of res judicata operating in the field. 1988 Cri LJ 1508 : (1987) 1 Orissa LR 71 ** 1997 (2) Cal LT 311 (312) : 1998 (1) Cur Cri R 657 (DB) ** 1996 (4) Andh LD 1237 (1240) 1996 (2) APLJ 209 ** 1996 (82) Cut LT 130 (132) : 1997 (1) Crimes 357 (Ori) ** 1991 MPLJ 779 (783, 784) (DB) ** 1986 Cri LJ 1742 : 1986 Ker LT 107 ** 1986 Raj Cri C 399 (401) ** (1984) 57 Cut LT 394 (DB).

(2) When the Court grants permission to withdraw the bail application and the same is treated as dismissed as withdrawn, it means that application stands dismissed. Unless and until court grants the permission to withdraw the bail application with a liberty to file a fresh application and accordingly if it is dismissed as withdrawn by the court in such cases only the subsequent application filed by the same accused can be entertained otherwise not. (1992) 3 Cur Cri R 2379 (2380) (Guj) ** 1992 (1) Guj LR 121 (122) : 1992 (1) Guj LH 259. (Withdrawal of bail application filed in High Court, amounts to its dismissal and the subsequent bail application cannot be entertained unless fresh ground is made out.) ** 1991 (2) Guj LH 482 : 1992 (1) Guj LR 99.

(3) Where earlier bail application was dismissed as withdrawn that cannot bar filing of fresh bail application and High Court can always consider fresh circumstances and subsequent events. **2003 (12) SCC 615 (616)** ** ILR 2004 (3) Kar 3304 (3310) : 2004 (3) All Cri LR 842 ** 2002 (1) Guj LR 267 (280) : 2002 Cri LR (Guj) 170 ** 2002 (94) Cut LT 752 (754) : 2002 (23) OCR 755 (Ori) ** 1998 Mad LJ (Cri) 487 (489) ** 1997 Cri LJ 902 (903) : (1997) 2 EFR 134 (Orissa) ** 1996 (3) Chand Cri C 491 (491) : 1997 (1) East Cri C 287 (Delhi) ** (1990) 31 (1) Guj LR 623 : 1990 Cri LR 361.

(4) Accused can move second bail application on fresh circumstances. 1990 (31) 2 Guj LR 856 (860) : (1990) 2 Guj LH 381.) ** 2007 WLC (Raj) (UC) 781 ** 2000 (5) Kant LJ 355 (357) : 2001 (1) Crimes 289 ** 1997 (1) Jab LJ 123 (125) ** 1993 Jab LJ 476 (478) (MP) ** 1988 Cri LJ 749 (752) : (1987) 32 Delhi LT 164 ** 1986 All LJ 1504 : 1986 All WC 825 (826) ** 1986 All LJ 1253 : 1986 All WC 992 (995).

(5) Where there is no change in factual situation between earlier bail application and the subsequent one, the accused would not be entitled to be released on bail. 1990 Cri LR (Mah) 375 (Guj) ** 2009 (42) OCR 243 (244) (Orissa) ** 2008 Cri LJ 2017 (2019) : (2008) 1 Cal Cri LR 481 (DB) ** 2006 Cri LR (Guj) 246 (248). (Successive bail application on ground of delay in commencement and conclusion of trial when there was total absence of change in circumstances.) ** 2000 (3) All Cri LR 58 (59) (P & H) ** 1993 (1) Crimes 246 (247) : 1993 (1) Cur Cri R 783 (Raj).

(6) Bail could be granted on successive bail application if the evidence against him is feeble. 1988 UP Cri C 69 (All).

(7) Where the applicant was arrested by S. H. O. of Police Station for being in possession of opium and his first bail application was rejected as the notification issued under S. 42 of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (1985) did not confer such power on officers of his rank though such power may conferred subsequently which was not brought to the notice, the second bail application was allowed. 1987 Raj Cri C 91 (92) : 1987 Cri LR (Raj) 524.

Section 439 — Note 9 (contd.)

(8) When the accused had admitted the purchase of 33 kgs. of Ganga which was recovered from his residence and his first bail application was also rejected, then looking to the circumstances, the second application for bail cannot be allowed. (1992) 3 Crimes 930 (Raj).

(9) Second application for grant of bail by the accused on the ground of delayed trial. Held that, merely because there has been delay in trial, it does not lead to the conclusion that in every such case, the accused is entitled to bail after passing of one year from date of arrest, when the delay has been fully explained and the same is not the result of undesirable tactics adopted by the defence. In view of the circumstances and the assurance of the prosecution that the trial will be completed in (9) months, the bail application is rejected. (1988) 2 Raj LW 251 (253, 254) : (1988) 2 Raj LR 885 ** 1990 Cri LJ 2646 : (1989) 2 Orissa LR 373.

[**But see** 2003 (3) Guj LR 2171 (2175). (Unreasonable delay in hearing and disposal of criminal appeal or trail confers right on the accused to apply for bail. So, the bail plea in such cases where unreasonable delay is caused in conducting and concluding the trial, cannot be thrown out merely on the ground that the application is a successive application after rejection of the earlier application of bail on merits.)]

(10) Accused was one of the assailants of the deceased. His committal proceedings were delayed because he could not be produced before the Court for various reasons which were properly explained. Second application for bail on ground of delayed committal not accepted. 1989 Jab LJ 55 (65, 66) (MP).

(11) The bail application once having been refused the fact that a period of three months had elapsed between first and second bail applications or the fact that an important prosecution witness had been externed from the limits of Greater Bombay did not warrant reconsideration of the prayer for bail. 1981 Cri LJ 500 (501) : 1981 Cri LR (Mah) 241.

(12) Bail — Earlier application for same was rejected — Subsequently investigation completed and charge-sheet was filed — Filing of charge-sheet is a substantive change, as approach of Court changes towards evaluating need of keeping accused in custody — Therefore, order rejecting second application for bail filed after filing of charge-sheet on ground that filing of charge-sheet is not a substantial change of circumstances — Not proper. 2004 Cri LJ 3802 (3804) : (2005) 1 Bom LR 29.

(13) If a Judge of the Sessions Court has already dismissed an application for bail of an accused and the second bail application of the same accused on the material similar to that of the first application is filed before the same Judge, he should not allow that bail application. 1991 Cri LJ 736 (Raj).

(14) At the stage of second of third or subsequent bail application by the accused when the bail applications of the co-accused whose bail applications has been earlier rejected are allowed, it is not at all necessary for the applicant accused to state in his application for bail that the application of a co-accused had been rejected previously. 1992 All WC 1836 (1842, 1848) (DB).

(15) When earlier bail application which is based on copy of FIR and no other statements or documents are rejected, there is no prohibition for making fresh application after the charge sheet is filed. 1992 Cri LR (Guj) 337 (342).

(16) While invoking the principle of parity in the matter of bail, the case of an accused has to be examined individually. Simply because the co-accused has been granted bail it cannot be the sole criteria for granting bail to an accused. Even at the stage of second or third bail, the court has to examine whether on facts the case of accused before the court is distinguishable from other released co-accused, and the role played by the accused is such which may disentitle him to bail. 1993 Cri LJ 938 (944) (All) ** 2007 (3) MPHT 349 (351).

(17) When a previous bail application was withdrawn as not pressed, subsequent application for bail, in the absence of fresh grounds or changed circumstances, would not be maintainable, because once the earlier bail application was withdrawn it should be presumed that all possible contentions must had been raised before the Court and the Court was not inclined to accept the same and release the accused on bail and therefore the bail application was "not pressed" by the advocate at that time. Under these circumstances, if the court had allowed to withdraw that application, it would be nothing but an order of dismissal. (1993) 1 Guj LH 268 (275) ** 1986 All LJ 550 (552, 554) : 1986 All WC 275.

(18) Bail succession applications — Earlier application withdrawn with a view to avoid its disposal by a particular Bench and to get it decided subsequently by a Bench of accused's choice — Such a practice deprecated — Registry directed to bring such cases to notice of Hon'ble Chief Justice to enable him to place matter before same Bench were accused had not pressed his previous application. 2002 Cri LJ 1062 (1106) : (2001) 2 Orissa LR 723.

(19) Where accused filed second bail application under S. 439, Cr. P. C. considering the fact that, the accused had jumped the bail earlier when he was released on bail and the co-accused was also convicted, Court declined to grant bail to the accused. 2000 WLC (Raj) (UC) 654 (655) : 2000 (2) Crimes 184 ** 2000 All MR (Cri) 294 (300) : 2000 (1) Bom LR 623.

[**See however** 2002 (3) Raj Cri C 1268. (Accused jumped over bail due to which his bail was cancelled — He filed subsequent bail application before High

5:29 87%
quora.com/Can-a-person-go-back
Quora
Open in App
Sign In
All related (32)
Recommended

**Yashveer Singh Yadav**
Law Graduate · 6y

Originally Answered: Can a person go back to session court after rejected from high court?

Yes, one can put an application before the Sessions Court even after bail has been rejected by High Cour when there is new evidence or the circumstances of case has changed.

You can furnish bail many times but the court will ask you that the last time your bail was rejected it was rejected on some finding then what has changed now that again you are coming for bail.

It can be new discovery of evidence or the prosecution

12 1 3

Interested in "Law"? Sign up to learn more... Sign Up

# I Want To Hear From District Judges Why "Bail Is The Rule" Principle Is Losing Ground : CJI DY Chandrachud

By - Anmol Kaur Bawa
Update: 2024-03-02 13:44 GMT

Click the Play button to listen to article

0:00 / 10:19

In his inaugural address at the **All India District Judges Conference held in Kachchh** on March 2, **Chief Justice of India, DY Chandrachud**, expressed concern over the apparent reluctance of district courts to entertain matters concerning personal liberty.

Noting a departure from the longstanding principle that "bail is the

# District Judiciary Fearful About Granting Bail To Undertrials Due To Subordination Culture Existing B/W HCs & District Judges: CJI DY Chandrachud

LIVELAW NEWS NETWORK

17 Feb 2024 4:05 PM

Share this

5:42 77%

Home / Top Stories / Subsequent Bail Application...

# Subsequent Bail Application Maintainable Before Sessions Court After Withdrawal Of First One Filed Before HC: SC [Read Order]

Ashok Kini

1 Sept 2019 11:59 AM

Share this

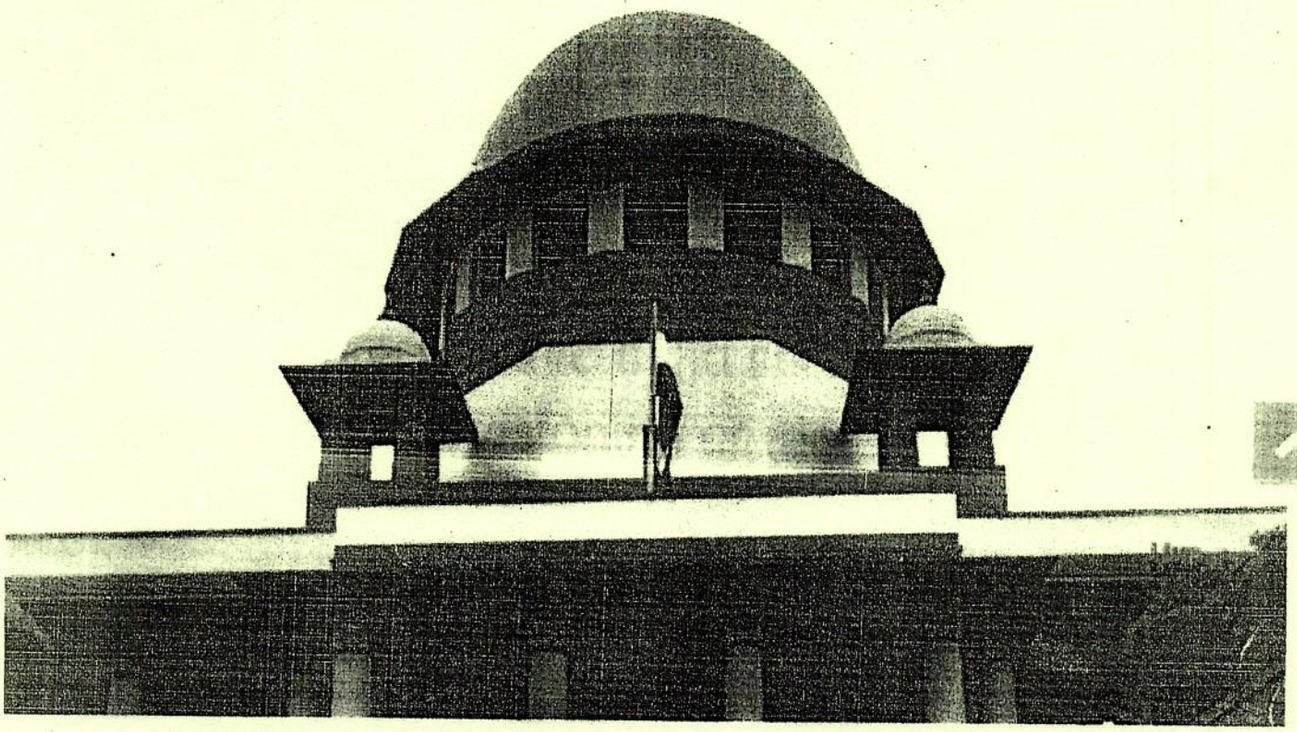

Related **Once the bail application is rejected by the high court, after how much time can it be reapplied for?**

Law is well settled that an accused has a right to make successive applications for grant of bail but successive bail applications are permissible under the changed circumstances. The change of circumstances must be substanti alone which has a direct impact on the earlier decision and not merely cosmetic changes which are of little or no consequence. Without the change in the circumstances,the subsequent bail application would be deemed to be seeking review of the earlier rejection.

Continue Reading

5

Sponsored by Amazon Web Services (AWS)

**Looking to deploy a serverless database? Get started for free.**

Fully managed services to build serverless applications that don't require provisioning or maintenance.

Sign Up

Interested in "Law"? Sign up to learn more... Sign Up

Noting a departure from the longstanding principle that "bail is the rule, jail is the exception," he highlighted the increasing number of cases reaching higher courts as appeals against the rejection of bail by trial courts. The Chief Justice called for a comprehensive reevaluation of t trend and sought insights from di judges nationwide to understand the underlying reasons.

*"There is also a rising apprehension that district courts are increasingly reluctant to entertain matters concerning personal liberty. The longstanding principle that "bail is the rule, jail is the exception" seems to be losing ground, as evidenced by the growing number of cases reaching High Courts and the Supreme Court as appeals against the rejection of bail by trial courts. This trend warrants a thorough reevaluation. I want to hear from our district judges why this trend is emerging across the country."*

CJI Chandrachud also underscored the paramount importance of inclusivity and diversity within the judiciary. While acknowledging the positive strides made in achieving greater gender representation, with women constituting 36.3% of the district judiciary's working strength, he highlighted urgent areas. Despite recent recruitment trends indicating a positive shift, with over 50% of selected candidates in the last Civil Judge (Junior Division) exam being

(प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र)

*अभियुक्त जेल में .........*

# न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज कक्ष सं0–9 / विशेष न्यायाधीश (N.D.P.S. Act) बदायूँ

7915/22 जमानत प्रार्थनापत्र सं0– ~~4004~~ सन–2022

मु0अ0सं0 – 401/2022

सरकार *बनाम* श्रीमती गीता

धारा–8 / 18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना–वजीरगंज (बदायूँ)

NOV 2022

जमानत प्रार्थनापत्र मिनजानिब श्रीमती गीता उम्र करीब–40 वर्ष पत्नी इन्द्रपाल निवासी ग्राम–गिरधरपुर थाना–सिरौली, जनपद–बरेली

"आधार जमानत"

1. यह कि उक्त वाद में प्रार्थिनी को राजनैतिक प्रभाव में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी निर्दोष है।
2. यह कि प्रार्थिनी के विरुद्ध कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है और न ही जनता का कोई साक्षी है।
3. यह कि थाना पुलिस द्वारा प्रार्थिनी व उसके पति इन्द्रपाल को पूँछताँछ के लिए थाने बुलाया गया था। प्रार्थिनी से कोई अफीम की बरामदगी नहीं हुई थी।
4. यह कि थाना पुलिस द्वारा कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं कराया गया है।
5. यह कि प्रार्थिनी पूर्व सजायाफ्ता नहीं है।
6. यह कि प्रार्थिनी दिनांक 04.11.2022 से जिला कारागार बदायूँ में निरुद्ध है।
7. यह कि प्रार्थिनी के दौरान वाद भागने अथवा गवाहान तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी को दौरान वाद जमानत पर रिहा करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

दिनांक :– 16.11.2022

प्रार्थिनी / अभियुक्त
श्रीमती गीता पत्नी इन्द्रपाल
निवासी ग्राम–गिरधरपुर
थाना–सिरौली जनपद–बरेली
द्वारा अधिवक्ता

Through
Counsel

Anoop Kumar Saxena
Cham. No. 72 ADVOCATE
Regd. No.- 2502/1996 Code- 131
Distt. Bar Ass., Budaun
M.- 9837419467

# न्यायालय श्रीमान ए.डी.जे ADJ X महोदय बदायूँ

मु0अ0सं0=401/2022
सत्र वाद संख्या– 02 सन–2023

सरकार बनाम इन्द्रपाल+1

धारा–8/18 एन.डी.पी.एस एक्ट
थाना–वजीरगंज

महोदय,

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मिनजानिब–गीता पत्नी इन्द्रपाल निवासी गिरधारपुर थाना सिरौली जिला बरेली। उम्र 37 वर्ष

आधार जमानत

1– यह कि प्रार्थिनी को उपरोक्त मामले में मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है।

2– यह कि प्रार्थिनी को गांव की राजनैतिक पार्टी बंदी के कारण झूंठा फंसाया गया है।

3– यह कि प्रार्थिनी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 5.04.2023 को निरस्त हो चुका है और जो बरामदगी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिखाई है, वह फर्जी है।

4– यह कि जब प्रार्थिनी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ था, तब माननीय न्यायालय में प्रार्थिनी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया था।

5– यह कि प्रार्थिनी के उक्त मामले में सहआरोपी इन्द्रपाल की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 08.05.2023 को स्वीकार हो चुकी है, जिसका जमानत आदेश पत्रावली में मौजूद है।

6– यह कि प्रार्थिनी दिनांक 04.11.2022 से जिला कारागार बदायूँ में निरूद्ध है।

7– यह कि प्रार्थिनी शुगर व हृदय गति की गम्भीर बीमारी से ग्रासित है।

8– यह कि प्रार्थिनी से जो बरामदगी थाना पुलिस ने दिखाई है, वह मिथ्या है। प्रार्थिनी एक घरेलू कामकाजी महिला है।

9– यह कि प्रार्थिनी का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

10– यह कि प्रार्थिनी माननीय न्यायालय की सन्तुष्टी के लिए जमानत देने को तैयार है।

DESHPAL VERMA
Advocate
Reg. No. 7629/2019 Code No. 1064
Collectrate, Budaun
COP No. 221327
Mob. 7088066933

7-6-2023

क्रमशः पेज 2 पर

11– यह कि प्रार्थिनी के उपरोक्त मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और प्रार्थिनी पर जो थाना पुलिस ने जिस जगह बरामदगी दिखाई है, वहां चौराहा है और हर समय व्यक्तियों का आना जाना लगा रहा है।

12– यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्याधिक विलम्ब से लिखाई गई है।

13– यह कि प्रार्थिनी की जमानत से गवाहान व सबूतों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

14– यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उपरोक्त मामला पंजीकृत किये जाने का निश्चित समय अंकित नहीं है।

15– यह कि प्रार्थिनी की जमानत से न्याय के हनन होने की कोई आशंका नहीं है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कराते हुए प्रार्थिनी को वाद तादौरान जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

आपकी महान कृपा होगी।

दिनॉक– 7- 6- 2023

प्रार्थिनी

DESHPAL VERMA
Advocate
Reg. No. 75[illegible] Code No. 1084
Collectorate, Budaun
COP No. 221387
Mob. 7088066933
7-6-2023

गीता पत्नी इन्द्रपाल
निवासी ग्राम–गिरधरपुर
थाना सिरौली जिला बरेली।

द्वारा अधिवक्ता

57/N

# ब्यान हल्फी

अदालत श्रीमान विशेष न्यायाधीश NDPS Act बदायूं जिला- बदायूँ

नम्बर मुकदमा 401/2022 सन ई०

सरकार बनाम इन्द्रपाल व 1

ब्यान हल्फी मिनजानिब राजेन्द्र पुत्र रूमपाल

निवासी ग्राम/मो० गिरधरपुर थाना सिरौली जिला-बरेली

मैं निम्न कथन धर्म ईमान से सत्य कहता हूँ।

1- यह कि मेरे अरोमर नाम पते पर गाँव मे अन्य दूसरा व्यक्ति निवास नहीं करता है

2- यह कि मै अभियुक्ता गीता देवी का पैरोकार [illegible]

3- यह कि अभि० गीता की जमानत पूर्व मे माननीय न्यायालय व मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद से निरस्त हो चुकी है

4- यह कि अभि० गीता देवी की जमानत हेतु अन्य कोई जमानत याचिका पत्र अन्य किसी न्यायालय मे विचाराधीन नहीं है दिनांक 7-6-2023 तक समय 11:30 बजे तक मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे विचाराधीन नहीं है

5- यह कि [illegible]

[illegible] ब्यान मे सत्य व [illegible]

[illegible]

मैं धर्म ईमान से सच कहता हूँ कि उपरोक्त कथन पूर्णतया सही है और कोई बात झूठ नहीं है। कोई बात छिपाई नहीं गई है खुदा ईश्वर मेरी सहायता करे।

हस्ताक्षर राजेन्द्र गवाह हस्ताक्षर [signature]

दिनाँक 7 माह 6 सन ई० आज बतारीख

सन ई० समय 11:20 बजे दिन के स्थान

शनाख्त [signature] जिससे मैं परिचित हूँ और इस शपथ पत्र के मजमून शब्द को सुनकर व पढ़कर समझकर सच होना मेरे समक्ष/शपथ से तसदीक किया।

[signature] 7-6-23 गवाह शनाख्त

व अदालत

सं० मुकदमा

UPBN010047132023

**न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 10/ विशेष न्यायाधीश (एन० डी० पी० एस० एक्ट), बदायूँ।**

**जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2130/2023**

1–गीता पत्नी इन्द्रपाल

निवासी गिरधापुर, थाना सिरौली, जिला बदायूँ।

**बनाम**

राज्य

मु०अ०सं०–**401/2022**

धारा– **8/18 एन० डी० पी० एस० एक्ट**

थाना– **वजीरगंज**, जिला– **बदायूँ।**

**दिनांकः 08.06.2023**

प्रार्थिनी /अभियुक्ता **गीता पत्नी इन्द्रपाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2130/2023, मु०अ०सं०–401/2022, धारा– 8/18 एन० डी० पी० एस० एक्ट, थाना–वजीरगंज, जिला– बदायूँ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ अभियुक्ता की ओर से पैरोकार राजेन्द्र पुत्र रक्षपाल निवासी गिरधरपुर, थाना सिरौली, जिला बरेली द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 03.11.2022 समय करीब 22:40 बजे अभियुक्ता गीता को वहद स्थान सैदपुर करेंगी रोड नवनिर्मित कोल्डस्टोर कतगांव के पास, अन्तर्गत थाना क्षेत्र वजीरगंज की सीमा के अन्दर प्रभारी निरीक्षकशनन्जय कुमार पाण्डेय मय पुलिस बल के पकड़ी गयी। जामा तलाशी से अभियुक्ता गीता मय सहअभियुक्त इन्द्रपाल के कब्जे से 5 किलो 386 ग्राम अफीम बरामद हुआ।

प्रार्थिनी /अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क किया गया है कि प्रार्थिनी /अभियुक्ता को उपरोक्त मामले में मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है। प्रार्थिनी /अभियुक्ता को गांव की राजनैतिक पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है। जो बरामदगी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिखाई है, वह फर्जी है। जब प्रार्थिनी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ था, तब माननीय न्यायालय में प्रार्थिनी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया था। प्रार्थिनी के उक्त मामले में सहआरोपी इन्द्रपाल की जमातन प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 08.05.2023 को स्वीकार हो चुकी है, जिसका जमानत आदेश पत्रावली में मौजूद है। प्रार्थिनी दिनांक 04.11.2022 से जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध है। प्रार्थिनी शुगर व हृदय गति की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है। प्रार्थिनी से जो बरामदगी थाना पुलिस ने दिखाई है, वह मिथ्या है। प्रार्थिनी एक घरेलू कामकाजी महिला है। प्रार्थिनी का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए जमानत देने को तैयार है। प्रार्थिनी के उपरोक्त मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और प्रार्थिनी पर जो थाना पुलिस ने जिस जगह बरामदगी दिखाई है, वहां चौराहा है और हर समय व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से लिखाई गयी है। प्रार्थिनी की जमानत से गवाहान व सबूतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उपरोक्त मामला पंजीकृत किये जाने का निश्चित समय अंकित नहीं है। प्रार्थिनी की जमानत से न्याय के हनन की कोई आशंका नहीं है।

दौरान बहस प्रार्थिनी/ अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थिनी/ अभियुक्ता को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है तथा कथन किया गया है कि प्रार्थिनी/ अभियुक्ता लम्बे समय से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थिनी/ अभियुक्ता शुगर व हृदय गति की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है जिसका ऑपरेशन होना

अभियुक्तजेल में

ADJ-9
3/12/22

18 NOV 2022

**न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट महोदय, बदायूँ**

मु0अ0स0–407/2022

सरकार बनाम असरफ अंसारी

धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना–वजीरगंज, जिला–बदायूँ।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मिनजानिब असरफ अंसारी उम्र–28 वर्ष पुत्र अफसर अंसारी निवासी ग्राम–कान्हा नगला, थाना–बिनावर, जिला–बदायूँ का निवासी है।

प्रार्थी निम्नलिखित आधार पर जमानत की प्रार्थना करता है कि :–

श्रीमान जी,

1. यह कि प्रार्थी निर्दोष है।
2. यह कि प्रार्थी दिनांक 10–11–2022 को ग्राम सुरसैना से आगे मन्दिर के सामने ऑवला–सुरसैना मार्ग पर वाहन चैकिंग के दौरान प्रातः लगभग 11:30 बजे पकड़ना बताया गया है एवं उसे मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन न0– UP24 J- 0143 प्लेटिना रंग काला से ऑवला की तरफ से आना बताया है एवं इसी मोटरसाईकिल की थैलेनुमा डिग्गी से प्लास्टिक की पिन्नी से (स्मैक) बरामद करना बताया गया है।
3. यह कि इसी फर्द बरामदगी E चालान से 307 एम0बी0एक्ट में मोटरसाईकिल नम्बर– UP24 J- 0143 को सीज करना लिखा है। जबकि इस चालान का समय 13:29:49 लिखा जो प्रार्थी को तथाकथित पकड़े जाने के दो घण्टे बाद का है एवं स्थान में राजकुमार सिंह, चौहान विला वजीरगंज उत्तर प्रदेश लिखा है यह स्थान थाने से लगभग 20 मीटर की दूरी पर है एवं फर्द बरामदगी के अनुसार प्रार्थी को पकड़े जाने वाले स्थान से 07 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। यदि मोटरसाईकिल प्रार्थी से मिली है तो चालान का समय भी वहीं होना चाहिए था जो प्रार्थी के पकड़े जाने का था जबकि दोनों समय में दो घण्टे की भिन्नता है। जिससे पूर्णतयाः साबित होता है कि दोनों घटनायें अलग–अलग हैं एवं प्रार्थी की झूठी नामजदगी करने के उद्देश्य से दोनों घटनाओं को जोड़ दिया है।

क्रमशः...................पेज 02 पर

...Singh Solanki
ADVOCATE
Reg. No. 07569/01
Code - 510
C.O.P. No.- 021742
Mob. - 941258....

4. यह कि फर्द बरामदगी में स्मैक की बरामदगी मोटरसाईकिल की डिग्गी से दिखाई गई है जोकि मोटरसाईकिल के चालान का समय 13:29:49 अर्थात प्रार्थी को तथाकथित पकड़ने के दो घण्टे बाद का है। प्रार्थी को जिस स्थान से पकड़ना बताया है उस स्थान से 07 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मोटरसाईकिल का चालान हुआ है। जिस समय प्रार्थी को पकड़ा गया तो उस समय जब प्रार्थी के पास मोटरसाईकिल थी ही नहीं तो मोटरसाईकिल से बरामद होने वाली स्मैक को प्रार्थी से बरामद होना कैसे दिखा दिया गया इसी से सावित होता है कि पुलिस ने प्रार्थी से झूठी बरामदगी दिखाई है जो प्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से की गयी है।
5. यह कि फ़र्द बरामदगी में राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी की बात करने के बाद क्षेत्राधिकारी बिसौली को बुलाकर तलाशी की प्रक्रिया को करना बताया गया है एवं जनता के गवाहान न मिलने की बात लिखी गयी है। इस प्रकार सारी बरामदगी में पुलिस पार्टी ही रही है। राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी एवं जनता के गवाहान की उपस्थिति में तलाशी को बरामदगी में इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे बरामदगी की प्रक्रिया संदिग्धता की सम्भावनाओं से दूर जाकर विश्वसनीयता की ओर बढ़ सके परन्तु यहां पर पूरी बरामदगी की प्रक्रिया में पुलिस पार्टी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। पुलिस का यह आचरण ही घटना को पूरी तरह संदिग्ध बनाता देता है।
6. यह कि प्रार्थी मोटरसाईकिल का मालिक नहीं है एवं मोटरसाईकिल मालिक मोहल्ला दातागंज का रहने वाला है। जबकि प्रार्थी ग्राम–कान्हा नगला थाना–बिनावर का निवासी है।। प्रार्थी का इस मोटरसाईकिल से सम्बन्ध ही नहीं है।
7. यह कि वर्तमान प्रकरण धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट आकर्षित नहीं होती है।
8. यह कि एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा–2 (VIIa) एवं धारा 2 (XX IIIa) के अन्तर्गत अल्प मात्रा एवं वाणिज्यिक मात्रा के शासनादेश की सूची में दिये गये कुल 239 क्रम संख्या में स्मैक का नाम भी नहीं है, ऐसे में अल्प मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण कैसे हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि जो पदार्थ सूची में नहीं है उस नाम के पदार्थ की

ADVOCATE
Reg. No. 07588/01
C.O.P. No. 021742
Mob.- 9412535894

क्रमशः................पेज 03 पर

बरामदगी पुलिस पार्टी द्वारा किस आधार पर दिखाई जा सकती है, इन समस्त आधारों से यह पूर्णतयाः साबित होता है कि पुलिस ने फर्जी एवं बनावटी बरामदगी दिखाई है।

9. यह कि प्रार्थी पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है।

10. यह कि प्रार्थी दिनाक 10—11—2022 से जिला कारागार बदायूँ में निरूद्ध है।

11. यह कि प्रार्थी को मा0 न्यायालय द्वारा जमानत दिये जाने के उपरान्त नियत तिथि पर हाजिर अदालत आता रहेगा।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश करने की कृपा करें।

दिनांकः— 18/11/2022

प्रार्थी

असरफ अंसारी पुत्र अफसर अंसारी
निवासी ग्राम—कान्हा नगला
थाना—बिनावर, जिला—बदायूँ

द्वारा अधिवक्ता

Somendra Singh Solanki
ADVOCATE
Reg. No. - 07569/01
Code - 510
C.O.P. No. - 021742
Mob. - ~~9412525894~~
09388840 99

जार्मीजेहा.में ८४

J-10 न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट महोदय, बदायूँ

एस0एस0टी0 न0–10/2023 मु0अ0स0–407/2022

सरकार बनाम असरफ अंसारी

धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना–वजीरगंज,

तारीख पेशी:–18–10–2023

District Court Computer Section 17 OCT 2023

**द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र** मिनजानिब असरफ अंसारी उम्र–28 वर्ष पुत्र अफसर अंसारी निवासी ग्राम–कान्हा नगला, थाना–बिनावर, जिला–बदायूँ का निवासी है।

प्रार्थी निम्नलिखित आधार पर जमानत की प्रार्थना करता है कि :–

श्रीमान जी,

1. यह कि प्रार्थी निर्दोष है।
2. यह कि विधि का सुस्थापित नियम है कि यदि दो सम्भावनायें हों और दोनों सम्भावनायें परस्पर विरोधाभासी होते हुये घटना को संदिग्ध्ता के घेरे में लाती हों तो किसी भी स्थिति में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है।
3. यह कि वर्तमान प्रकरण में वादी फर्द के आधार पर मुकदमा थाना वजीरगंज में पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने का समय 13:29 पी0एम0 है एवं मोटरसाईकिल न0– UP24 J- 0143 प्लेटिना रंग काला का चालान 01:29:49 पी0एम0 पर घटना स्थल से सात किलोमीटर दूर थाना वजीरगंज से लगभग 20 मीटर की दूरी पर राजकुमार सिंह बिला वजीरगंज है इस प्रकार से दो अलग घटनायें हैं पहली सात किलोमीटर दूरी पर सुरसेना मन्दिर के पास दूसरी मोटरसाईकिल चालान की थाने से 20 मीटर दूरी पर जो स्टेट हाइवे है। जबकि फर्द बरामदगी में मोटरसाईकिल चालान सुरसेना मन्दिर के पास होना लिखा है। यदि मोटरसाईकिल का चालान फर्द बरामदगी में लिख दिया और फर्द बरामदगी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गयी तो फिर मोटरसाईकिल का चालान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाने के पास ही कैसे हुआ। इसी मोटरसाईकिल से स्मैक की बरामदगी दिखायी गयी है। अभियुक्त के शरीर या कपड़ों से कोई बरामदगी नहीं हुई है। बरामदगी का जो भी जिक्र है वह मोटरसाईकिल की डिक्की से है अभियुक्त मोटरसाईकिल का मालिक भी नहीं है। जब यह बात जमानत प्रार्थना पत्र सुनबाई के समय माननीय न्यायालय के समक्ष

क्रमशः.............................पृष्ठ 02 पर

Singh Solanki
Advocate
Reg. No.-7569/01
C.O.P No.-21742
Mob. No. 9039804099
Distt. Court Budaun

आई और माननीय न्यायालय द्वारा वादी विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी, निरीक्षक यातायात से लिखित स्पष्टीकरण मांगा तो एक दूसरा चालान तीसरे स्थान गुठीला का 12:55:49 का माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रकरण की प्रक्रिया बिना स्वतन्त्र साक्ष्य के केवल पुलिस पार्टी के द्वारा की जाती है कोई जनता का गवाह साथ में नहीं होता है इसलिए जब वादी द्वारा एक ही मोटरसाईकिल के दो अलग–अलग चालान प्रस्तुत किये गये हैं और वह दोनों चालान घटना स्थल के अतिक्ति स्थान पर दर्शित हो रहें जिसमें एक स्थान सात किलोमीटर की दूरी दूसरा स्थान 03:28 दूरी का है। घटना स्थल से सम्बन्धित मोटरसाईकिल का चालान का कोई कागज न हो तो पुलिस कार्यवाही पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। एक ही मोटरसाईकिल का दो बार चालान कैसे हो सकता है। जब घटना स्थल पर मोटरसाईकिल के चालान का कोई प्रपत्र नही है तो फर्द बरामदगी में जो घटना स्थल पर लिखनी बतायी गयी है में मोटरसाईकिल का चालान पंजीकृत कैसे है।

4. यह कि विवेचक द्वारा वादी कि कार्यवाही सावित करने के उद्देश्य से सारी कार्यवाही की गयी है यदि विवेचक निष्पक्ष विवेचना की ओर अग्रसर होते तो मोटरसाईकिल के स्वामी (मालिक) के ब्यान जरूर करते। क्योंकि बरामदगी मोटरसाईकिल से हुई है न कि प्रार्थी से।
5. यह कि विवेचक ने घटना स्थल से आसपास के किसी व्यक्ति के ब्यान दर्ज करने का प्रयास नहीं किया है और न ही किसी स्वतन्त्र गवाह के ब्यान दर्ज किये हैं।
6. यह कि पूरी विवेचना में केवल पुलिस पार्टी के ही ब्यान दर्ज हुये हैं अन्य कोई साक्ष्य विवेचक द्वारा एकत्रित नहीं किया है।
7. यह कि निरीक्षक यातायात द्वारा माननीय न्यायालय में भेजी गयी स्पष्ट आख्या में लिखा है कि ई–चालान अपलोड होने के पश्चात कोई बदलाव सम्भव नहीं है किसी कारणवश ई–चालान में कोई त्रुटि यातायात निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से एन0आई0सी0 द्वारा ई–चालान में बदलाव सम्भव है। इसी से स्पष्ट होता है कि चालान प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने के बाद हुआ है यह बात पकड़ में आ जाने पर वादी/विवेचक ने लखनऊ से दूसरा चालान बनवा लिया लेकिन गलत करने पर कोई न कोई चूक हो ही जाती है इसी कारण दूसरे चालान में भी घटना का स्थान घटना स्थल से 3.28किलोमीटर की दूरी पर हो गया है, ऐसे में ई–चालान घटना स्थल से कैसे माना जा सकता है।

क्रमशः.........................पृष्ठ 03 पर

Somendra Singh Solanki
Advocate
Reg No.-7569/01
C.O.P. No.-21742
Mob. No.-9936884099
Distt. Court, Budaun

8. यह कि फर्द बरामदगी में राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी की बात करने के बाद क्षेत्राधिकारी बिसौली को बुलाकर तलाशी की प्रक्रिया को करना बताया गया है एवं जनता के गवाहान न मिलने की बात लिखी गयी है। इस प्रकार सारी बरामदगी में पुलिस पार्टी ही रही है। राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी एवं जनता के गवाहान की उपस्थिति में तलाशी को बरामदगी में इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे बरामदगी की प्रक्रिया संदिग्धता की सम्भावनाओं से दूर जाकर विश्वसनीयता की ओर बढ़ सके परन्तु यहां पर पूरी बरामदगी की प्रक्रिया में पुलिस पार्टी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। पुलिस का यह आचरण ही घटना को पूरी तरह संदिग्ध बना देता है।
9. यह कि एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा–2 (VIIa) एवं धारा 2 (XX IIIa) के अन्तर्गत अल्प मात्रा एवं वाणिज्यिक मात्रा के शासनादेश की सूची में दिये गये कुल 239 क्रम संख्या में स्मैक का नाम भी नहीं है, ऐसे में अल्प मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण कैसे हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि जो पदार्थ सूची में नहीं है उस नाम के पदार्थ की बरामदगी पुलिस पार्टी द्वारा किस आधार पर दिखाई जा सकती है, इन समस्त आधारों से यह पूर्णतयाः साबित होता है कि पुलिस ने फर्जी एवं बनावटी बरामदगी दिखाई है।
10. यह कि प्रार्थी पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है।
11. यह कि प्रार्थी को मा0 न्यायालय द्वारा जमानत दिये जाने के उपरान्त नियत तिथि पर हाजिर अदालत आता रहेगा।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश करने की कृपा करें।

दिनांकः–07–10–2023

प्रार्थी

असरफ अंसारी पुत्र अफसर अंसारी

निवासी ग्राम–कान्हा नगला

थाना–बिनावर, जिला–बदायूँ

द्वारा अधिवक्ता

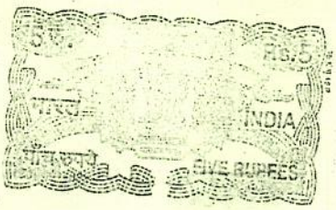

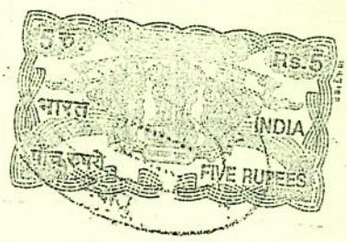

न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश N.D.P.S. Act
मु० अ० सं० 407/2022
S.S.T. No.- 10 सन 2023 [illegible]

सरकार बनाम असरफ
धारा- 8/21 N.D.P.S. Act
थाना- वजीरगंज

Somendra Singh Solanki
Advocate
Reg. No.-1569/01
C.O.P. No.-21742
Mob. No. 8938884099

शपथ पत्र मिन जानिब अफसर अली उर्फ- [illegible] पुत्र कैफुल्ला R/o ग्राम कान्हा नगला थाना- बिनावर जिला बदायूं

शपथ कर्ता निम्न लिखित बयान शपथ पूर्वक बयान करता है कि-

1- यह कि शपथ कर्ता उपरोक्त पते का निवासी है शपथ कर्ता के नाम व वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति उपरोक्त पते पर निवास नहीं करता है।

2- यह कि प्रार्थी के द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक- 12.12.2022 को माननीय न्यायालय निरस्त किया गया प्रार्थी के मुकदमे में अभी आरोप तय नहीं हुआ है, एवं प्रार्थी के द्वारा अपनी द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय दाखिल किया जा रहा है।

3- यह कि शपथ कर्ता मुकदमा के हालात से वाकिफ एवं प्रार्थी के पैरोकार है। एवं अभियुक्त असरफ का सगा पिता है।

4- यह कि शपथ कर्ता का पुत्र (अभियुक्त) असरफ दिनांक 10.11.2022 से जिला कारागार बदायूं में निरुद्ध है।

5- यह कि शपथ पत्र के पैरा 1 ता 4 तक मेरे निजी ज्ञान में सत्य व सही है [illegible] अल्लाह मेरी मदद करे

07-10-2023

Somendra Singh Solanki
Advocate
Reg. No.-1569/01
C.O.P. No.-21742
Mob. No. 8938884099
Distt. Court, Budaun

UPBN010082242023

**न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 10/ विशेष न्यायाधीश (एन० डी० पी० एस० एक्ट), बदायूँ।**

**जमानत प्रार्थना–पत्र सं0– 3410/2023**

1–असरफ अंसारी पुत्र अफ़सर अंसारी

निवासी ग्राम कान्हा नगला, थाना बिनावर, जिला बदायूँ।

**बनाम**

राज्य

मु०अ०सं०–407/2022

धारा– **8/21 एन० डी० पी० एस० एक्ट**

थाना– **वजीरगंज**, जिला– **बदायूँ।**

**दिनांकः 12.10.2023**

प्रार्थी /अभियुक्त **असरफ अंसारी पुत्र अफसर अंसारी** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3410/2023, मु०अ०सं०–407/2022, धारा– 8/21 एन० डी० पी० एस० एक्ट, थाना–वजीरगंज, जिला– बदायूँ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ अभियुक्त की ओर से पैरोकार अफसर अली पुत्र फैजुल्ला द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 10.11.2022 समय करीब 11:30 बजे अभियुक्त असरफ अंसारी को वहद स्थान ग्राम सुरसैना से आगे मन्दिर के पास सुरसैना आंवला मार्ग, अन्तर्गत थाना क्षेत्र वजीरगंज, जिला बदायूँ की सीमा के अन्दर उपनिरीक्षक श्री राजबली सिंह मय पुलिस बल पकड़ा गया। जामा तलाशी से अभियुक्त असरफ अंसारी के कब्जे से 350 ग्राम स्मैक बरामद हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त निर्दोष है। विधि का सुस्थापित नियम है कि यदि दो सम्भावनायें हो और दोनों सम्भावनायें परस्पर विरोधाभासी होते हुये घटना को संदिग्धता के घेरे में लाती हों तो किसी भी स्थिति में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। वर्तमान प्रकरण में वादी की फर्द के आधार पर मुकदमा थाना वजीरगंज में पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने का समय 13:29 पी० एम० है एवं मोटरसाइकिल सं० UP24J0143 प्लेटिना रंग काला का चालान 01:29:49 पी० एम० पर घटना स्थल से सात किलोमीटर दूर थाना वजीरगंज से लगभग 20 मीटर की दूरी पर राजकुमार सिंह बिला वजीरगंज है। इस प्रकार से दो अलग घटनायें हैं। पहली सात किलोमीटर दूरी पर सुरसेना मन्दिर के पास दूसरी मोटरसाइकिल चालान की थाने से 20 मीटर दूरी पर जो स्टेट हाइवे है। जबकि फर्द बरामदगी में मोटरसाइकिल चालान सुरसेना मन्दिर के पास होना लिखा है। यदि मोटरसाइकिल का चालान फर्द बरामदगी में लिख दिया और फर्द बरामदगी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गयी तो फिर मोटरसाइकिल का चालान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाने के पास ही कैसे हुआ। इसी मोटरसाइकिल से स्मैक की बरामदगी दिखायी गयी है। अभियुक्त के शरीर या कपड़ों से कोई बरामदगी नहीं हुई है। बरामदगी का जो भी जिक्र है वह मोटर साइकिल की डिक्की से है। अभियुक्त मोटर साइकिल का मालिक भी नहीं है। जब यह बात जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के समय माननीय न्यायालय के समक्ष आई और माननीय न्यायालय द्वारा वादी विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी, निरीक्षक यातायात से लिखित स्पष्टीकरण मांगा तो एक दूसरा चालान तीसरे स्थान गुठीला का 12:55:49 का माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रकरण

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन० डी० पी० एस० एक्ट) की बहस को सविस्तार सुना एवं पत्रावली का गहन अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास बताया गया है, परन्तु उक्त अभियोग में अभियुक्त की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना संस्थित किया गया था जिसे संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 12.12.2022 को निस्तारित किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत विवेचक द्वारा इस न्यायालय में आरोप पत्र संस्थित किया गया जिस पर सुनवाई किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया है। अतः इस स्तर पर विवेचना पूर्ण हो चुकी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के स्वीकार किये जाने की स्थिति में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्यों से छेड़छाड़ किये जाने की सम्भावना समाप्त हो चुकी है। अभियुक्त दिनांक 10.11.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र के खारिज होने की तिथि के उपरांत भी प्रार्थी/ अभियुक्त को जेल में एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका है। इस स्तर पर प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित होने के उपरांत उपरोक्त वर्णित नवीन आधार प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में उत्पन्न होते प्रतीत हो रहे हैं। अतएव प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस मामले के गुण-दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध में निम्न शर्तों के अनुसार जमानत पर रिहा किये जाने के आधार न्यायहित में पर्याप्त है। तदानुसार आदेश।

## आदेश

प्रार्थी /अभियुक्त **असरफ अंसारी पुत्र अफसर अंसारी** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3410/2023, मु०अ०सं०-407/2022, धारा- 8/21 एन० डी० पी० एस० एक्ट, थाना-वजीरगंज, जिला- बदायूँ स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/-(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाये कि-

1- प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा,

2- प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।

3- प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत /जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

4- प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

5- प्रार्थी/अभियुक्त आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आयेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

6- अभियोजन साक्षीगण जब न्यायालय में उपस्थित आयेंगे तो उनसे जिरह करने हेतु प्रार्थी/अभियुक्त कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

दिनाँक 12.10.2023

**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**न्यायालय सं० 10/ विशेष न्यायाधीश**
**(एन०डी०पी०एस० एक्ट), बदायूँ।**

प्रेषक,

नवनीत कुमार भारती (एच० जे० एस०),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एन० डी० पी० एस० एक्ट)बदायूँ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, बदायूँ।

विषयः– अर्द्धशासकीय पत्र सं० 02/प्र० लि०/ 2024 दिनांक 01.03.2024 के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि महोदय द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं० 02/प्र० लि०/ 2024 दिनांक 01.03.2024 माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र सं० CB 392/2024 दिनांकित 01.03.2024 के सम्बन्ध में आख्या आहूत की गयी है जो कि सादर निम्नवत है–

इस न्यायालय में एस० टी० सं० 49/2019 राज्य बनाम इब्ने हसन+ 1, अंतर्गत धारा 8/18 एन०डी०पी०एस० एक्ट की पत्रावली विचाराधीन रही। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त इब्ने हसन पुत्र मेंहदी हसन की ओर से एक जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.01.2024 जिसे दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत इस आशय का किया गया कि निवेदन है कि उपरोक्त सत्रवाद में प्रार्थी को जुर्म से इकबाल है। जुर्म इकबाल के आधार पर प्रार्थी अपना मुकदमा समाप्त कराना चाहता है। प्रार्थी बहुत ही गरीब मजदूर व्यक्ति है। मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त सत्रवाद को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित कर निरस्त फरमाने की कृपा की जाये।

संबंधित प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड की छायाप्रति कागज सं० 24 ख संस्थित किया गया जिसे विद्वान अधिवक्ता श्री जीशान खान एडवोकेट के द्वारा संस्थित किया गया था। प्रार्थना पत्र मय पत्रावली सेशन क्लर्क द्वारा इस न्यायालय के पेशकार को पेश की जाने हेतु दी गयी। न्यायालय पेशकार द्वारा खुले न्यायालय में पेश की गयी। नियमानुसार न्यायालय में तथा न्यायालय के द्वार पर पत्रावली के नाम की पुकार की गयी जिस पर प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। प्रार्थी/ अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा खुले न्यायालय में जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर बल दिया गया। पत्रावली के प्रस्तुत किये जाते समय शिकायतकर्ता/ विद्वान विशेष लोक अभियोजक, श्री अतुल कुमार सिंह भी समक्ष न्यायालय उपस्थित थे। जिनके द्वारा कथन किया गया कि जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र एक प्रक्रिया मुल्जिम तथा न्यायालय के मध्य की है। इसमें अभियोजन का कोई विशेष कार्य नहीं है। अभियोजन के लिए वाद दोषसिद्ध की श्रेणी में है।

मेरे द्वारा एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कोर्ट मोहर्रिर तथा सेशन क्लर्क से पूछा गया कि मुल्जिम कितने दिन जेल में रहा है तथा उससे क्या प्राप्त है। तब उनके द्वारा पत्रावली को देखकर यह बताया गया कि इस मुल्जिम पर तीस किलो

डोडा प्राप्त है तथा यह लगभग सात माह जेल में रहा। तब मेरे द्वारा पत्रावली का स्वयं परिशीलन किया गया तथा पत्रावली में विरचित आरोप देखा गया।

आरोप तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 02.02.2016 को विरचित किया गया जिसका परिशीलन किया गया। आरोप इस प्रकार से बनाया गया है कि पढ़ने में यह आया कि उक्त बरामद बोरों में से प्रत्येक बोरों का वजन तीस–तीस किलोग्राम था तथा दो मुल्जिमान इब्ने हसन व भूरा का नाम बोल्ड करके लिखा था। इस प्रकार मुझे उस समय इतना ही समझ में आया कि प्रत्येक बोरों में तीस–तीस किलोग्राम तथा दो मुल्जिम। अतः एक मुल्जिम पर तीस किलोग्राम डोडा बरामद हुआ। फिर देखा कि यह मुल्जिम सात महीने जेल में रहा है। इस पर उस वक्त मुझे जो आदेश न्याय की दृष्टि से उचित लगा वो मेरे द्वारा पारित किया गया। वह मात्र इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया कि इब्ने हसन मुल्जिम के पास से कुल तीस किलोग्राम डोडा बरामद हुआ तथा यह लगभग सात महीने जेल में रहा। तब मेरे द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि–

पुकार करायी गयी। अभियुक्त इब्नेहसन न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्त इब्नेहसन के द्वारा प्रस्तुत अपराध में धारा –8/15 एन०डी०पी०एस० एक्ट में जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र के आधार पर उसने स्वेच्छया से जुर्म इकबाल होना कहा है। अतः अभियुक्त इब्नेहसन को स्वेच्छया से जुर्म इकबाल करने के कारण धारा–8/15 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

सजा के प्रश्न पर अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद में जुर्म इकबाल अपनी स्वेच्छया से स्वीकार किया गया है। उक्त आधार पर न्यायहित में प्रार्थी द्वारा उक्त वाद निर्णीय किये जाने की याचना की गयी। उपरोक्त मामले में अभियुक्त द्वारा पूर्व में 7 माह के कारावास की अवधि बिता चुका है। अतः मैं अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि व 5,000/–रूपये(पांच हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किये जाने योग्य समझता हूँ। आदेश –अभियुक्त/दोषसिद्ध इब्नेहसन द्वारा जेल में बितायी गई अवधि 5,000/–रूपये(पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न देने पर दोषसिद्ध को 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

यह आदेश मेरे द्वारा सद्भावना पूर्वक पारित किया गया। अब आपके द्वारा यह पत्र प्राप्त होने तथा पत्रावली को मंगाकर देखने पर पता चला कि उक्त बरामद बोरों में से प्रत्येक बोरे का वजन तीस–तीस किलोग्राम से ऊपर की पंक्तियों में शब्द 13 बोरियां अंकित है जो कि तब सहवन मेरे संज्ञान में आने से रह गया और न केवल मेरे संज्ञान में आने से रहा। वरन् प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, सेशन क्लर्क जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मात्र मुझे तीस किलो ग्राम डोडा एवं सात माह की अवधि कारावास में बिताना बताया। यही कथन इस न्यायालय के कोर्ट मोहर्रिर द्वारा किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार सिंह के समक्ष भी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। उनके द्वारा भी इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत नहीं करवाया गया कि असल में तीस–तीस किलो के बोरे से ऊपर की पंक्तियों में कुल 13 बोरे शब्द भी अंकित है। अंत में जब मेरे द्वारा यह आदेश पारित कर दिया गया तब आशुलिपिक द्वारा यह आदेश टंकित करके मेरे समक्ष लाया गया। जिसका पुनः परिशीलन करने के उपरांत मेरे द्वारा इस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये गये। यह त्रुटि मेरे तथा इस न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण से सहवन हुई है। जानबूझकर नहीं की गयी है। ऐसी सहवन हुई त्रुटियों के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत अध्याय 35 में अनियमित कार्यवाहियां का एक चैप्टर अलग से दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के कार्यालय के सेशन क्लर्क के सम्मुख प्रस्तुत होने पर सेशन क्लर्क द्वारा प्रार्थना पत्र को पत्रावली में लगाकर पेशी हेतु न्यायालय में भेज दिया जाता है। तब खुले न्यायालय में न्यायालय पेशकार पत्रावली में डायस पर से पुकार किया जाकर तथा न्यायालय के दरवाजे पर पुकार करवाया जाकर पत्रावली पेश करते हैं। प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.01.2024 पर विद्वान अधिवक्ता श्री जीशान खान द्वारा समक्ष न्यायालय पत्रावली पर बहस की गयी। दौरान बहस न्यायालय में विद्वान विशेष लोक अभियेाजक, श्री अतुल कुमार सिंह मौजूद रहे। प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.01.2024 को इस आशय से संस्थित किया गया जो कि उपरोक्त वर्णित है। परन्तु विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार सिंह द्वारा समक्ष न्यायालय ऐसा कोई कथन नहीं किया गया ना ही इस ओर कोई ध्यान इंगित करवाया गया कि प्रस्तुत पत्रावली में मात्रा वाणिज्यिक प्रकार की है। जबकि न्यायालय सत्र लिपिक, न्यायालय पेशकार, विद्वान विशेष लोक अभियेाजक, आशुलिपिक एवं स्वयं मेरे दृष्टि में यह तथ्य सहवन सामने नहीं आ पाया ना ही इस ओर ध्यान आकर्षित हो पाया कि पत्रावली में वाणिज्यिक मात्रा है। यदि प्रार्थना पत्र के पेश किया जाने के स्तर पर मुझे यह ज्ञात हो जाता कि पत्रावली में वाणिज्यिक मात्रा निहित है तो मैं सही मात्रा के हिसाब से निर्णय पारित करता एवं इसका उल्लेख अवश्य ही अपने निर्णय में करता। परन्तु अब प्रश्नगत निर्णय में कहीं पर भी मेरे द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि बरामद माल की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी में है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई व निस्तारण के समय मुझे सम्बन्धित प्रार्थना पत्र में निहित बरामद माल मात्रा का सही–सही ज्ञान नहीं हो पाया था तथा वाणिज्यिक मात्रा की बजाय बरामद माल को एक मुल्जिम पर मात्र तीस किलोग्राम होना समझकर अभियुक्त को दण्डित किया गया। यह त्रुटि कई हाथों से होती हुई सहवन हो गयी है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है।

इस सम्बन्ध में अध्याय 35 की धारा 465 दं० प्र० सं० 1973 सटीक तौर पर लागू होती है तथा मुख्यतः यह प्रावधानित करती है कि सक्षम आधिकारिकता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश विचारण के पूर्व या दौरान परिवाद, सम्मन, वारण्ट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्यवाही में हुई या इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही में हुई किसी गलती, लोप या अनियमितता या अभियोजन के लिये मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण अपील, पुष्टीकरण का पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक न तो उलटा जाएगा और न परिवर्तित किया जायेगा , जब तक न्यायालय की यह राय नहीं है कि उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। अतः इन तथ्य एवं परिस्थितियों में जबकि इस न्यायालय को सम्बन्धित पत्रावली एस० टी० सं० 49/2019 राज्य बनाम इब्ने हसन+ 1, अंतर्गत धारा 8/18 एन०डी०पी०एस० एक्ट का विचारण तथा निर्णय किया जाने का विषय वस्तु क्षेत्राधिकार प्राप्त था तथा न्यायालय द्वारा विधिक तौर पर निर्णय पारित किया गया, हस्ताक्षरित किया गया जिस निर्णय का क्रियान्वयन पूर्ण रूपेण हो चुका है तथा पूरी प्रक्रिया के दौरान इस न्यायालय के किसी भी कर्मचारी चाहे न्यायालय के सत्र लिपिक, पेशकार, प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/ अभियुक्त अथवा विशेष लोक अभियोजक तथा स्वयं मेरे संज्ञान तथा आशुलिपिक के संज्ञान में भी यह तथ्य आने से सहवन छूट गया कि पत्रावली में असल में वाणिज्यिक मात्रा है तथा आरोप को देखते हुए जो साधारणतया पढ़ने में यह आ रहा था कि एक मुल्जिम पर कुल तीस किलोग्राम का एक बोरा ही बरामद है, को दृष्टिगत रखते हुए सहवन सम्बन्धित निर्णय पारित किया

गया। अतः यह स्थिति धारा 465 दं० प्र० सं०,1973 से पूर्ण रूपेण कवर होती है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा प्रतिपादित एक विधि व्यवस्था Lalit Yadav Vs. State (Nct of Delhi) on 1 November, 2012 में सेशन न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रावधानित से कम सजा दे दी गयी तथा मिनिमम से कम सजा दिये जाने के कोई कारण भी लेखबद्ध नहीं किये गये जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा यह प्रावधानित किया गया कि मिनिमम से कम सजा दिया जाना तथा उसके कारण को लेखबद्ध नहीं किया जाना निर्णय को दोषपूर्ण नहीं बताता है जब तक कि ऐसा निर्णय पारित किया जाने वाले न्यायालय को सम्बन्धित पत्रावली के निर्णीत किया जाने का विषय वस्तु क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सेशन न्यायालय द्वारा दी गयी सजा को अपास्त नहीं किया गया तथा दण्डादेश निर्णय अपनी जगह पर यथावत रहा।

इस सम्बन्ध में कुछ अन्य विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत आख्या के साथ संलग्न की जा रही है। आरोप विरचन की छायाप्रति, जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.01.2024 मय आदेश की छायाप्रतियां इस आख्या के साथ संलग्न है।

इन तथ्य एवं परिस्थितियों में सम्बन्धित निर्णय इस न्यायालय द्वारा सद्भावनापूर्वक पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश एक न्यायिक आदेश है, जो कि यथावत है।

मैं वर्ष 2006 उ० प्र० न्यायिक सेवा का अधिकारी हूँ तथा आज तक अपना न्यायिक कार्य सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से करता आया हूँ तथा भविष्य में भी किये जाने के लिये तत्पर हूँ।

इन तथ्य एवं परिस्थितियों में माननीय महोदय के आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा प्रस्तुत आख्या माननीय महोदय के सहानुभूतिपूर्वक विचारण हेतु सादर प्रेषित है।

दिनांकः06.03.2024

(नवनीत कुमार भारती)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश
(एन० डी० पी० एस० एक्ट) बदायूँ।

7/3/24

न्यायालय श्रीमान A.S.J 10th महोदय बदायूँ
SS.T.No 49/2019 2226

सरकार बनाम इब्ने हसन

धारा - 8/15 NDPS Act

थाना - बिल्सी

महोदय

निवेदन है कि उपरोक्त सत्रवाद में प्रार्थी को जुर्म से इकबाल है जुर्म इकबाल के आधार पर प्रार्थी अपना मुकदमा समाप्त कराना चाहता है प्रार्थी बहुत ही गरीब मजदूर व्यक्ति है मेहनत मजदूरी करके व बामुश्किल अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाता है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त सत्रवाद को कम से कम अर्थ दण्ड से दण्डित कर निस्तारित कराये जाने की कृपा की जावे।

दिनांक: 3/01/24

इब्ने हसन

प्रार्थी

इब्ने हसन पुत्र मेहदी हसन R/o मौ० उपरपारा थाना - कोतवाली सदर व जिला बदायूँ

न्यायालयः- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 10/ विशेष न्यायाधीश
(एन० डी० पी० एस० एक्ट), बदायूँ।
समक्षः नवनीत कुमार भारती, एच०जे०एस०
J.O. Code- UP 1750

एस०एस०टी०संख्या -49/2019

राज्य प्रति

इब्नेहसन पुत्र मेहंदी हसन
निवासी मो०ऊपर पारा, थाना कोतवाली,
जिला बदायूँ।

... ... ... ....अभियुक्त

मु०अ०सं०-19/2015
अंतर्गत धारा-8/15 स्वापक औषधि एवं
मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
थाना-बिल्सी, जिला- बदायूँ।

निर्णय

पुकार करायी गयी। अभियुक्त इब्नेहसन न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्त इब्नेहसन के द्वारा प्रस्तुत अपराध में धारा-8/15 एन०डी०पी०एस० एक्ट में जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र के आधार पर उसने स्वेच्छया से जुर्म इकबाल होना कहा है। अतः अभियुक्त इब्नेहसन को स्वेच्छया से जुर्म इकबाल करने के कारण धारा -8/15 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

सजा के प्रश्न पर अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद में जुर्म इकबाल अपनी स्वेच्छया से स्वीकार किया गया है। उक्त आधार पर न्यायहित में प्रार्थी द्वारा उक्त वाद निर्णीय किये जाने की याचना की गयी। उपरोक्त मामले में अभियुक्त द्वारा पूर्व में 7 माह के कारावास की अवधि बिता चुका है। अतः मैं अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि व 5,000/-रूपये(पांच हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किये जाने योग्य समझता हूँ।

आदेश

अभियुक्त/दोषसिद्ध इब्नेहसन द्वारा जेल में बितायी गई अवधि 5,000/-रूपये(पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न देने पर दोषसिद्ध को 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

दिनाँक 04.01.2024

(नवनीत कुमार भारती)
J.O.Code UP -1750
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)/
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)
बदायूँ।

इब्नेहसन

136

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, न्या0 सं0–10, बदायूँ।
एस0 एस0 टी0 सं0–11/2015
राज्य बनाम इब्ने हसन व भूरा
धारा–8/15 एन0डी0पी0एस0 एक्ट।
मु0अ0सं0 19/2015
थाना–बिल्सी, जिला बदायूँ।

## आरोप

मैं, वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–10, बदायूँ,

एतद्द्वारा आप अभियुक्त 1– इब्ने हसन व 2– भूरा को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक 16.01.2015 को समय करीब 07.30 बजे, बहद स्थान कस्बा बिल्सी, थाना बिल्सी, जनपद बदायूँ में आप अभियुक्तगण को एस0आई0 अशोक कुमार व अन्य पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया और तलाशी पर आप अभियुक्तगण के कब्जे से ट्रक संख्या एच0आर0 38एच/0904 का पीछे से डाला खोलने पर गाड़ी के अन्दर से प्लास्टिक की 13 बोरियों में डोडा अफीम चूरा बरामद हुआ। उक्त बरामद बोरों में से प्रत्येक बोरे का बजन 30–30 किलोग्राम था। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत दंडनीय है जो इस न्यायालय के प्रसज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्या0 सं0–10, बदायूँ।

दिनांक: 12.02.2016

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुना कर समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

(वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्या0 सं0–10, बदायूँ।

दिनांक: 12.02.2016

125

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, न्या0 सं0–10, बदायूँ।
एस0 एस0 टी0 सं0–11/2015
राज्य बनाम इब्ने हसन व भूरा
धारा–8/15 एन0डी0पी0एस0 एक्ट।
मु0अ0सं0 19/2015
थाना–बिल्सी, जिला बदायूँ।

## आदेश

पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण इब्ने हसन व भूरा जेरे जमानत उपस्थित न्यायालय आये । विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को आरोप पर सुना गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वह साक्ष्य इंगित किया गया है, जिसको आरोप की पुष्टि में पेश करना चाहते हैं। उभय पक्ष को सुनने एवं इंगित साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 8/15 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु, पत्रावली पुनः लंच बाद प्रस्तुत हो।

(वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय) 12/16
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्या0 सं0–10, बदायूँ।

दि0–12.02.2016

पुनः पत्रावली प्रस्तुत हुयी। अभियुक्तगण इब्ने हसन व भूरा को धारा 8/15 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 04.03.2016 को पेश हो।

(वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय) 12/16
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्या0 सं0–10, बदायूँ।

दि0–12.02.2016

...de.

(3) Clauses (c) and (d) of S. 537 of the old Code ...ve been omitted as the jury system has now been ...olished altogether.

(4) Provision concerning sanction for prosecution ... new.

(5) Sub-section (2) of the new section corresponds ... Explanation to S. 537 of the old Code.

**2. Scope of the section.**

(1) Sections 460 to 464 deal with particular kinds ... irregularities and their effect on proceedings. This ...ction is general and provides that subject to those ...ovisions no omission, error or irregularity in any ...oceeding will entail a reversal or alteration in ap...al or revision of any finding, sentence or order, ...less such error, omission or irregularity has in fact ...casioned a failure of justice. This section is based ... the principle that mere technicalities in respect of ...atters which are not of vital or important signifi...nce in a criminal trial should not be allowed to frus...ate the ends of justice. **AIR 1963 SC 1696 (1699) : 1963 (2) Cri LJ 534.**

(2) The section is more of a curative nature and ...moves any defect which may otherwise lay the judg...ent or the order of the Court vulnerable to attack on ...ount of certain irregularities. (1962) 64 Pun LR ... : ILR (1962) 2 Punj 74 (87, 88) (DB).

(3) This section must not be understood as author...ing the Courts to commit irregularities which do not ...asion a failure of justice. It only means that where ...rregularity is committed, such irregularity is, in ...bsence of failure of justice, not a ground which ...be urged in appeal or revision for getting the find... sentence or order reversed. **AIR 1956 SC 116 ... : 1956 Cri LJ 291 ** AIR 1956 All 466 (471) : ...56 Cri LJ 959 (FB)** ** AIR 1961 Manipur 5 (6) : ...1) Cri LJ 104.

[See AIR 1937 Sind 86 (90) : 38 Cri LJ 596. (High ... will not interfere in revision with an order, even ...egular when no actual or possible failure of jus...ccurs.) ** AIR 1915 Bom 203 (205, 206) : 16 ...J 761.]

... Where, before the final disposal of a case, the ...on of the Court is drawn to the irregularity or ... in its proceedings, it cannot, on the strength of ...ection, allow the error or irregularity to remain ...ected and proceed with the case in spite of such ... irregularity. In other words the section can... utilised by a Court in the actual proceedings in ... the error or irregularity is being committed in ... validate such error or irregularity. **AIR 1956 ...466 (471) : 1956 Cri LJ 959 (FB)** ** AIR 1961 ...r 5 (6) : 1961 Cri LJ 104 ** AIR 1969 Delhi ...10 : 1969 Cri LJ 1370. (Courts are disinclined ...e or encourage in advance violations of statu...visions merely because they may be consid-ered to be directory.) ** (1896) 23 Cal 983 (990) ** (1908) 8 Cri LJ 235 (240) (Cal). (This section does not give legal effect to a defective warrant.) ** (1913) 14 Cri LJ 298 (300) (Sind) ** (1907) 6 Cri LJ 382 (383) (Mad) (Obiter.)

[**See also** AIR 1917 Lah 277 (280) : 18 Cri LJ 121 ** AIR 1940 Cal 579 (579) : 42 Cri LJ 264. (Summons case tried as warrant case — Attention of Court drawn to mistake at late stage of proceedings and Court ordering retrial as summons case — Accused applying to High Court in revision — High Court cannot set aside order for retrial and direct the illegal procedure to be continued — In the circumstances of the case the High Court quashed the entire proceedings.) ** AIR 1958 Punj 254 (258) : 1958 Cri LJ 948 (DB). (The trial Courts should not ignore the provisions of the Code in the hope that their mistakes will be overlooked by higher Courts by applying Ss. 535 and 537.)]

(5) The provisions of S. 465 will not be applicable to a case where a court has no jurisdiction. Thus when the court dismissed the complaint and discharged the accused for non-appearance of the complainant but the complainant appeared only a few minutes after passing of the formal order, the court would have no jurisdiction to restore the complaint and revoke its earlier order and hence S. 465 would not be attracted. 1988 Cri LJ 791 (792) : (1988) 1 Gauhati LR 302.

(6) Where a Magistrate has refused to overlook an irregularity and has acquitted the accused on account of such irregularity, his order cannot be impeached on this ground before the Court of appeal. **AIR 1947 PC 75 (78) : 48 Cri LJ 679.**

(7) The section enables the superior Court to ignore errors etc. for the purpose of unholding the order made by a competent Court. It does enable the Court to ignore such errors while upsetting the order or finding of the original Court. 1972 All Cri R 226 (232).

(8) The principle underlying Ss. 464, 465 is that a Court of appeal should not interfere with an order passed by a Court of competent jurisdiction unless a failure of justice has been occasioned. 1980 All Cri R 362 (365, 366) : 1980 UPLT (NOC) 133.

(9) Where the error is brought to the notice of the superior Court at an early stage the superior Court should try to get it corrected rather than allow it to remain and then to find out whether prejudice was caused to the party or not. 1969 Cri LJ 1190 (1192) (Punj).

(10) The section applies only to proceedings under this Code. Where the inquiry or proceeding was not under this Code as was the case of proceedings under Ss. 103 and 104 of the Presidency Towns Insolvency Act, 1909, as it stood before 1926, S. 537 of the Code of 1898 did not directly apply, but the

**Section 465 — Note 2 (contd.)**

principle underlying it should be applied. But S. 5(2) of the Code of 1898 provided that all offences under other laws shall be investigated according to the provisions of this Code subject, however, to any enactment regulating the manner of investigation etc. of such offences. AIR 1920 Cal 941 (943) : 21 Cri LJ 522.

(11) There is no provision in the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act (1956) otherwise providing for manner of conducting investigation etc. under the Act, S. 537 would therefore govern the investigation, inquiry or trial of the offences under the Act and in the absence of any prejudice search under S. 15 of the Act must be upheld. **AIR 1970 SC 1396 (1398, 1399) : 1970 Cri LJ 1279.**

[See also AIR 1971 Delhi 168 (169) : 1971 Cri LJ 947. (An error caused by using wrong words in a notice under S. 20 is curable under S. 537, Criminal P.C. when it does not occasion failure of justice.)]

(12) The provisions of this section are mandatory and no Court is entitled to set aside a finding, sentence or order of a subordinate Court in direct contradiction of the terms of the section. AIR 1939 All 238 (240) : 40 Cri LJ 549.

(13) This section which is itself a part of the procedure established by law does not contravene the provisions of Art. 21 of the Constitution which prohibits any person being deprived of his life or personal liberty except in accordance with the procedure established by law. AIR 1959 All 149 (154) : 1959 Cri LJ 268 ** AIR 1956 All 462 (463, 464).

(14) Arrears of property tax mentioned in complaint as Rs. 490.83 whereas actual amount due was Rs. 445.04 only — When mistake was discovered by Municipality application was made for amending complaint and complaint was amended after hearing both parties — Mistake had not gone to the root of the matter and had not vitiated prosecution — No prejudice was caused to accused as result of this mistake which had been corrected by amendment. 1968 Ker LT 491 (491).

(15) Section 465 cannot be applied to patent defect of jurisdiction. **AIR 1998 SC 2821 : 1998 AIR SCW 285 : 1998 Cri LJ 814 (828, 829).**

(16) The principle behind Section 465, Cr. P. C. is that any and every irregularity or infraction of a procedural provision cannot constitute a ground for interference by a superior Court unless such irregularity or infraction has caused irreparable prejudice to the party and requires to be corrected at that stage itself, and unless a grave illegality is committed, the superior Courts should not interfere. They should allow the Court which is seized of the matter to go on with it. Because such frequent interference by superior Courts at the interlocutory stages tends to defeat the ends of Justice instead of serving those ends. **1995 AIR SCW 1725 : 1995 Cri LJ 2640 (2643).**

(17) Where no objection, with regard to non-production of seized material containing brown sugar from shop, was raised during trial then S. 465(2) would not permit to raise such objection in appeal. 2003 (1) MPLJ 402 (409) ** 2008 Cri LR (Raj) 1319 (1324, 1325). (Non-production of seized article is not on mere irregularity but is fatal to prosecutrix with regard to establishing identity of thing.)

(18) Sections 465 and 466 cannot legalise an illegal act when it goes to root of jurisdiction of Executing Officer. 1998 (23) All Cri R 1261 (1263) : 1998 (37) All Cri C 314 (DB).

**3. "By a Court of appeal, confirmation or revision."**

(1) This section applies where a Court is exercising 'appellate or revisional' jurisdiction or jurisdiction under Chap. XXVIII (confirmation of sentences). It does not apply, for instance to a Sessions Judge to whom a case has been committed for trial, and the commitment is found irregular. AIR 1919 Mad 190 (190) : 20 Cri LJ 514.

(2) The fact that a Magistrate refuses to overlook an irregularity which is of a curable nature under this section, and acquits the accused will not vitiate the acquittal. **AIR 1947 PC 75 (78) : 48 Cri LJ 679.**

(3) Criminal appeal — Suspension of sentence — Conviction is of offence under S. 304, Part 2, I. P. C — Accused sentenced to only 5 years R. I. — Unless sentence is suspended appeal likely to become infructuous by time it reaches final hearing — Court should consider necessity of suspending sentence unless releasing accused will be of graver consequence — Sentence suspended and accused appellant directed to be released on bail. **1999 (5) JT 419 (420) : 1999 (39) All Cri C 491 (SC).**

**4. "Subject to the provisions hereinbefore contained."**

(1) This section must be read "subject to provisions hereinbefore contained." Thus where an irregularity falls under S. 461, it renders the proceeding 'void' and cannot under this section be cured. AIR 1928 Bom 142 (143) : 29 Cri LJ 492. (Summary trial falling under S. 530 (q).) ** AIR 1918 Cal 50 (51) : 19 Cri LJ 961. (Proceedings void under S. 53 Cl. (p).)

(2) The expression "subject to the provisions hereinbefore contained" has reference to the 'entire Code that precedes this section and not merely to the provisions contained in Ss. 460 to 464. **AIR 1947 PC 75 (77) : 48 Cri LJ 679 : 74 IA 80.** (AIR 1916 Cal 693, AIR 1939 All 238, **Impliedly Overruled.** 2005 (1) Andh LT (Cri) 365 (369). (Section 465 to be read along with S. 460 and S. 193 of Code (1895) 22 Cal 176 (179).

[**See also** (1896) 23 Cal 983 (990). (S. 537 extended to cure formal defects of procedure; it

**Section 465 — Note 6 (contd.)**

the Criminal P.C. the trial court should hear the prosecution and the defence and if it was not a case of no evidence, record that it was not a case of no evidence and thereafter call upon the accused to enter into his defence. However the irregularity, if any, in not recording that it was not a case of no evidence and acquittal of the accused on that account, before calling upon the accused to enter on his defence is not a material irregularity which would vitiate the trial. It can be cured under Section 465 of the Code. ILR (1987) Bom 962 (981) : (1987) 1 Bom CR 576 (DB).

(35) Contravention of Section 100 due to witnesses not being members of locality where the search and seizure is being effected, is only a curable irregularity and not an illegality that vitiates the search and seizure, in view of provisions of Section 465. 1984 Tax LR 2812 (2817, 2818) : (1983) 2 Kant LJ 433.

(36) The failure of trial Court to examine accused would not vitiate the trial. 2002 (1) Mah LJ 159 (161) : 2002 All MR (Cri) 697 (Bom) (DB).

[**See however** 2001 (1) All Cri LR 77 (78) : 2000 Cal Cri LR 460. (Where particulars of offence, for which accused was to be tried, was not explained to him and also examination of accused was not done in proper manner, held that there was prejudice caused to accused which was not curable irregularity under Ss. 464 and 465 of Code.)]

(37) The provisions of S. 191, Cr. P.C. are mandatory and non-compliance with provisions is an illegality vitiating the trial and not a mere irregularity curable u/S. 465, Cr. P.C. 1991 Cal Cri LR 86 (89) : 1991 (1) Cal HN 264.

(38) Where alleged contravention of offence under non-existing law, by accused cannot form basis of his conviction and such defect having occurred in hands of prosecution itself, then it cannot be cured by S. 465 of Code. 1997 Cri LJ 4182 (4186) : ILR 1997 Kar 1888.

(39) Irregularity — Causing death by negligent driving of bus — In FIR and all other documents correct bus number was mentioned — Said documents were supplied to accused before trial — Mentioning of wrong bus number in notice was found to be merely a typographical mistake — Irregularity of such type — Did not affect trial. 2003 Cri LJ 3321 (3322) : 2002 (97) DLT 705.

(40) Search and seizure — Alleged recovery of 32 bags containing poppy straw from possession of accused — Non-production of the recovered articles — Is not only a procedural irregularity u/S. 465 but it is also fatal to prosecution case. 2008 Cri LJ (NOC) 222 : 2007 (3) Raj Cri C 1423.

(41) An omission to file documents with the charge-sheet is a mere irregularity curable u/S. 465, Cr. P.C. 1996 Jab LJ 274 (277) : 1996 MPLJ 172.

(42) If Magistrate issued summonses under wrong section which clearly proves that the Magistrate did not apply his mind. But this lacuna in the proceedings or mistake on the part of the Magistrate is an irregularity, which is curable u/S. 465, Cr. P.C. 1999 Cri LR 232 (239) : 1999 (3) All Cri LR 212.

(43) Provisions of S. 273 are mandatory in nature and Magistrate or Sessions Judge has to record evidence during trial in presence of accused. Contravention of provisions of S. 273 is not curable under S. 464 or 465 of Code. 1994 Mah LJ 956 (959-960) (Bom).

(44) Violation of S. 279, being only an irregularity is curable under S. 465. 2002 (3) Cur Cri R 480 (482) : 2002 (2) Shim LC 276 (DB) (HP).

(45) Though compounding of non-compoundable offence by subordinate Court is serious irregularity, error committed by Magistrate would not led to any failure of justice in view of fact that the complainant who suffered the injuries at the hands of accused came forward to compromise the matter. 1996 AIHC 5010 (5010) : ILR (1995) Kar 2782 (DB).

**7. Error, etc., in complaint.**

(1) The 'want' of a sanction under 'other provisions of laws' and the 'want' of a complaint where it was necessary for the initiation of proceedings were held to affect the 'jurisdiction' of the Court to deal with the matter and consequently not within Section 537. **AIR 1917 Low Bur 96 (97, 99) : 18 Cri LJ 357 (FB).** (Want of sanction under Section other than Section 195 is fatal.) ** (1910) 11 Cri LJ 453 (460) (Cal). (Want of complaint.) ** AIR 1919 All 455 (456) : 19 Cri LJ 963. (Do.) ** (1904) 1 Cri LJ 1046 (1047) (All). (Want of complaint.) ** AIR 1915 Lah 241 : 16 Cri LJ 787 ** (1903) 30 Cal 285 (287). (Want of complaint by public servant.) ** (1911) 12 Cri LJ 234 (235) (Mad). (Want of sanction for offence under Section 19 (f), Arms Act.) ** (1910) 11 Cri LJ 190 (Mad) (Do.) ** AIR 1921 All 162 : 23 Cri LJ 95. (Irregularity in sanction required under U.P. Municipalities Act 2 (II) of 1916 not cured.) ** AIR 1917 Lah 233 (234) : 18 Cri LJ 511. (Complaint by person not authorized is not a complaint.) ** AIR 1916 Lah 358 : 17 Cri LJ 199. (Do.) ** AIR 1920 All 103 (104) : 21 Cri LJ 286 (Do.) ** (1909) 9 Cri LJ 449 (450) (Sind) ** (1912) 13 Cri LJ 287 (288) (Bom) ** AIR 1915 All 110 (111) : 16 Cri LJ 310. (Time barred sanction.)

[**See** (1983) 1 Crimes 866 (Delhi) (Failure to furnish sanction for institution of complaint before cognizance is taken and production thereof after process is issued but pre-charge evidence is not yet commenced is merely an irregularity curable under S. 465) [** 1902 All WN 9 (10). (Sanction to prosecute given by wrong Court — Sanction quashed.)]

[**See however** 1982 Cri LJ (NOC) 21 : 1981 Chand LR (Cri) 624 (627) (Punj). [Trial without obtaining sanction under Section 197 — Defect not curable